

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 अप्रैल 2011—वैशाख 2, शक 1933

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मार्च, 2011

क्र. ई-1-91-2011-5-एक.—श्रीमती अरूणा शर्मा, भाप्रसे (1982) पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय के रूप में पदस्थ करते हुए प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

2. उपरोक्तानुसार श्रीमती अरूणा शर्मा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम

9 के अन्तर्गत विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-II में सम्मिलित प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

3. उपरोक्त पद-1 के अनुक्रम में श्रीमती अरूणा शर्मा द्वारा प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आई.एस. दाणी, भाप्रसे (1980), प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं आयुष विभाग केवल आयुष विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

## गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2011

क्र. एफ 1(ए) 187-1991-ब-2-दो.—श्री राजेश चावला, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक (सर्तकता-सुरक्षा) मध्यप्रदेश, विद्युत् मण्डल, जबलपुर को दिनांक 4 से 21 अप्रैल 2011 तक, कुल अठारह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 03, एवं 22 अप्रैल 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये, राज्य शासन द्वारा उक्त अवधि में उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 की गृह नगर यात्रा सुविधा के तहत सपरिवार गृह नगर, “सहारनपुर (उत्तरप्रदेश)” परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :—

1. श्री राजेश चावला - स्वयं
2. श्रीमती सुनीता चावला - पत्नी
3. प्रातीक चावला - पुत्र
4. कार्तिक चावला - पुत्र

(2) उक्त यात्रा हेतु स्वीकृत अवकाश का उपभोग करने के फलस्वरूप इनके अर्जित अवकाश खाते से 18 दिवस का अर्जित अवकाश घटाया जावेगा.

(3) उक्त यात्रा हेतु श्री चावला को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश चावला, भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक (सर्तकता-सुरक्षा) मध्यप्रदेश विद्युत् मण्डल, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) अवकाशकाल में श्री राजेश चावला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश चावला, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2011

क्र. एफ 1(ए) 105-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25 मार्च 2011 द्वारा श्री एम. पी. द्विवेदी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक/प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश

पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लि., भोपाल को दिनांक 6 से 15 अप्रैल 2011 तक, कुल दस दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 03, 04, 05, 16 अप्रैल 2011 एवं 17 अप्रैल 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उक्त अवधि में उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में गृह नगर यात्रा सुविधा के बदले में भारत में कहीं भी भ्रमण की पात्रता के तहत सपरिवार “अण्डमान निकोबार” जाने की अवकाश यात्रा की अनुमति प्रदान की गई है.

(2) राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश के तारतम्य में भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन क्रमांक 14028/4/2009-Estt. (L), दिनांक 03 जून, 2009 में निहित प्रावधान के तहत श्री एम. पी. द्विवेदी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक/प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लि., भोपाल को उक्त अवकाश यात्रा की अनुमति के साथ 10 दिवस के अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(3) उपर्युक्तानुसार नगदीकृत अवकाश श्री द्विवेदी के अर्जित अवकाश खाते में से घटाया जावेगा.

(4) पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 25 मार्च 2011 की शेष कंडिकार्यें यथावत् लागू रहेंगी.

क्र. एफ 1(ए)253-1988-ब-2-दो.—डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (रेल) मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 18 से 30 अप्रैल 2011 तक, कुल तेरह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 16, 17 अप्रैल 2011 एवं दिनांक 01 मई 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उक्त अवधि में उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 की गृह नगर यात्रा सुविधा के तहत गृह नगर “चण्डीगढ़” अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (रेल) मध्यप्रदेश, भोपाल की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री विजय कटारिया, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, होशंगाबाद जोन, होशंगाबाद द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) उक्त यात्रा हेतु स्वीकृत अवकाश का उपभोग करने के फलस्वरूप इनके अर्जित अवकाश खाते से 13 दिवस का अर्जित अवकाश घटाया जावेगा.

(4) उक्त यात्रा हेतु डॉ. आर. के. गर्ग को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(5) अवकाश से लौटने पर डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (रेल) मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(6) डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, द्वारा पुलिस महानिरीक्षक (रेल) मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव पुलिस महानिरीक्षक (रेल) मध्यप्रदेश, भोपाल के कार्यभार से मुक्त होंगे।

(7) अवकाशकाल में डॉ. आर. के. गर्ग को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(8) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**अशोक दास, प्रमुख सचिव.**

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2011

क्र. एफ 1(बी) 154-10-बी-4-दो.—राज्य शासन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2008 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिए निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15,600—39,100+5,400 में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त करता है. नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, सागर में प्रशिक्षण हेतु कार्यभार ग्रहण करने पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे. अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माने जावेंगे :—

क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पता
(1)	(2)	(3)
1	08	श्री लोकेश कुमार सिन्हा, यादव नंद नगर म. नं. 426, गली क्र.-3, थाना बाणगंगा, इन्दौर, मध्यप्रदेश.
2	12	कु. स्टेला सुलिया, सी-एचडी/24, सुकलिया, एमआर-10, रोड इन्दौर, मध्यप्रदेश पिन-452 010.

(2) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में "संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण" प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.

(3) नियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अन्तर्गत निराकृत किये जायेंगे.

(4) नियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व की बकाया की भांति उनसे वसूल की जावेगी.

(5) राज्य शासन के अधीन दिनांक 01-01-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी.

(6) नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी. उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

(7) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक "बॉण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होंगे, की वापसी के लिये उत्तरदायी रहेगा. जिसकी पूर्ति कर जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर में कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को अपनी उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

(8) नवनियुक्त अधिकारी पूर्व में शासकीय अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजाँच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**राजेश ओगरे, अवर सचिव.**

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2011

क्र. फा. 3(बी)1-2010-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र.-45) राज्य शासन, श्रीमती ज्योत्सना आर्य, पत्नी श्री अजीत सिंह बघेल को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्द्वारा, नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला उज्जैन मध्यप्रदेश है। उनकी जन्मतिथि 16 अगस्त, 1978 है।

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2011

क्र. फा. 3(बी)1-2010-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र.-27) राज्य शासन, श्री अतुल यादव पुत्र श्री पुरूषोत्तम यादव को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2

(प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्द्वारा, नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर मध्यप्रदेश है। उनकी जन्मतिथि 25 अगस्त, 1979 है।

क्र. फा. 3(बी)1-2010-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र.-41) राज्य शासन, श्री रवि शंकर पुत्र श्री चतुर्भुज दोहरे को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्द्वारा, नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला भिण्ड मध्यप्रदेश है। उनकी जन्मतिथि 15 अप्रैल, 1981 है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव।

## वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2011

क्र. एफ-2-01-2009-ई-चार.—राज्य शासन द्वारा राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 7(1)/7(5) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश वित्त निगम इन्दौर को निम्नलिखित ऋणपत्रों/ऋण पर प्रत्याभूति दी गई थी। मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा उक्त ऋणपत्रों/ऋण की राशि मय ब्याज सहित कुल राशि रूपये 5,77,50,000 (रूपये पांच करोड़ सत्तर लाख पचास हजार) अदा करने के फलस्वरूप राज्य शासन उक्त ऋणपत्रों/ऋण के लिये प्रदत्त प्रत्याभूति को निरस्त करता है :—

क्र.	आदेश क्र. व दिनांक	निहित दर	प्रत्याभूति दी गई	प्रत्याभूति समाप्ति की अवधि	प्रत्याभूति राशि	10% राशि की अतिरिक्त प्रत्याभूति	कुल प्रत्याभूति राशि
1	क्रमांक 3916/5664/ चार/नि-3/90 दिनांक 6-11-1990.	11.5%	ऋण पत्र	14-11-2010	5,25,00,000	52.50 लाख	5,77,50,000

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. एम. पुरोहित, अवर सचिव।

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,  
होशंगाबाद, मध्यप्रदेश

होशंगाबाद, दिनांक 23 मार्च 2011

क्र. 4762-व.लि.-1-2011.—मध्यप्रदेश आपत्तिक हैजा विनियम 1979 के नियम 3 के अन्तर्गत हैजा, ज्वर, आंत्रशोध रोग, के फैलने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए, मैं, निशांत वरवड़े, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद की संपूर्ण सीमा को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूँ. इसी विनियम के नियम 2 के उपनियम (घ) एवं (ङ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए होशंगाबाद जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक सर्जन, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, खाद्य निरीक्षक (खाद्य विभाग) स्वास्थ्यता निरीक्षक नगरपालिका उक्त समस्त संबंधितों को उक्त अधिसूचना में दर्शित अवधि के लिये उल्लेखित अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करता हूँ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, होशंगाबाद को निर्देश देता हूँ कि इस संबंध में शासनादेश को पूर्ण पालन करना सुनिश्चित करें, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की जावे.

निशांत वरवड़े, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 13 अप्रैल 2011

क्र.-SW-5455-2011.—मुझे अवगत कराया गया है कि नीमताल चौराहे से पीतलमिल चौराहे के बीच निजी एवं लोक वाहनों द्वारा असामान्य रूप से अधिक गति तथा बहुतायत में प्रेशर

हार्न का उपयोग किया जा रहा है, इस कारण एक ओर जहाँ उक्त क्षेत्र में सड़क दुर्घनायें बढ़ रही हैं वहीं दूसरी ओर मुख्य मार्गों तथा संलग्न क्षेत्रों में लोक शांति विक्षुब्ध हो रही है.

2. उल्लेखनीय है कि नीमताल से पीतलमिल चौराहे के बीच जिला चिकित्सालय, जिला न्यायालय, सर्किट हाउस, पुरातत्व संग्रहालय, जिला अभिभाषक संघ तथा अन्य निजी चिकित्सालय, रहवास एवं शिक्षण संस्थायें हैं, अतः अधिक गति से गुजरने वाले वाहनों से संबंधित दुर्घटना एवं प्रेशर हार्न की तीव्र/ककर्श ध्वनि के कारण असहजता अनुभव की जा रही है.

3. अतः मैं, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला विदिशा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 112(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम-1989 के नियम 119 तथा मध्यप्रदेश मोटरयान अधिनियम, 1991 के नियम 217 के अनुक्रम में नीमताल चौराहे से पीतलमिल चौराहे के बीच लोक सेवा वाहनों तथा निजी वाहनों की अधिकतम गति सीमा 40 कि. मी. प्रति घंटा नियत करता हूँ तथा उक्त क्षेत्र में प्रेशर हार्न का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित करता हूँ.

4. यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त क्षेत्र में नियत गति सीमा तथा प्रेशर हार्न प्रतिबंधित किये जाने संबंधी सूचना पटल मुख्या मार्ग के दोनों ओर कार्यपालन यंत्रों, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी, विदिशा द्वारा प्रदर्शित कराये जावें तथा इस आशय की सूचना दैनिक समाचार-पत्रों में सहज दृष्टिगोचर तथा स्पष्टता से प्रकाशित कराये जावें साथ ही उक्त क्षेत्र से अस्थायी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, विदिशा द्वारा की जावेगी.

सी. बी. सिंह, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 249-भू-अर्जन-2011.

सतना, दिनांक 14 मार्च 2011

करारनामा

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल, जरिये कलेक्टर, सतना

प्रथम पक्ष

प्रोजेक्ट हेड, रिलायन्स सीमेन्टेशन प्रा. लि. मैहर, जिला सतना, मध्यप्रदेश

द्वितीय पक्ष

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (प्रथमपक्ष) के ज्ञाप क्रमांक 12-32-2010-सात-2-ए, दिनांक 11 मार्च 2011 से द्वितीय पक्ष के द्वारा स्थापित हो रहे रिलायंस सीमेन्टेशन प्रा. लि. मैहर, जिला सतना के मेंगा सीमेन्ट प्लान्ट को भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के तहत 132.628 एकड़ निजी भूमि के भू-अर्जन की शर्त स्वीकृति देते हुए उक्त अधिनियम की धारा 41 के प्रावधानों के अनुरूप यह करारनामा निष्पादित किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश शासन ने भू-अर्जन अधिनियम की धारा 40 के अधीन की गई जांच से संतुष्ट होकर कि प्रस्तावित अर्जन मेंगा सीमेन्ट प्लान्ट की स्थापना के लिए आवश्यक है और उक्त कार्य आम जनता के लिए उपयोगी सिद्ध होने की संभावना मानते हुए रिलायन्स सीमेन्टेशन प्रा. लि., मैहर की ओर से निजी भूमि अर्जित करने की अनुज्ञा दी है।

यह करारनामा निम्नलिखित मुद्दों का साक्षी है:—

1. यह कि द्वितीय पक्ष, रिलायन्स सीमेन्टेशन प्रा. लि. मैहर, जिला सतना का प्रोजेक्ट हेड हूँ।
2. यह कि रिलायन्स सीमेन्टेशन प्रा. लि. मैहर, कम्पनी ने सीमेन्ट प्लान्ट की स्थापना के लिए ग्राम भरौली में 73 कृषकों से 48.083 एकड़, ग्राम इटहरा के 32 कृषकों से 25.524 एकड़, ग्राम बेरमा में 32 किसानों से 10.576 एकड़, ग्राम खेरवाकलों में 20 किसानों से 18.249 एकड़ तथा ग्राम भैसासुर के 12 किसानों से 12.696 एकड़ कुल 115.128 एकड़ भूमि क्रय कर ली है, तथा 12.385 एकड़ मध्यप्रदेश शासन की भूमि के आवंटन हेतु आवेदन लंबित हैं, जबकि ग्राम भरौली के 93 कृषकों की 32.012 एकड़, ग्राम इटहरा के 62 कृषकों की 31.720 एकड़, ग्राम बेरमा के 44 कृषकों की 11.742 एकड़, ग्राम खेरवाकलों के 59 कृषकों की 42.024 एकड़ ग्राम भैसासुर के 8 कृषकों की 13.605 एकड़ एवं ग्राम लोही के 5 कृषकों की 1.525 एकड़ कुल 273 कृषकों की 132.628 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने को शेष रह गई है।
3. भारत सरकार द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31-10-2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति लागू होगी, जिसके अधीन कंपनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यवाही विधिवत् की जायेगी। मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिए अन्य कोई शर्तें या निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तो वे भी लागू किये जावेंगे।
4. कंपनी द्वारा (इस आशय की करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के पुनर्वासित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा।
5. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के आदेश का पालन किया जायेगा।
6. संबंधित कंपनी के लिए भू-अर्जन किये जाने संबंधित कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जावेगा।
7. संबंधित परियोजनाओं को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी।

8. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन व अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.
9. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
10. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है, वह उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.
11. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
12. कंपनी को दी गयी भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बन्धक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए भू-अर्जन अधिनियम के तहत).
13. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें, शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
14. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जावेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नीव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जावेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
15. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
16. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
17. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
18. भूमि व उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लिखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
19. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई गई अन्य आवश्यक शर्तें स्वीकार होगी.

हस्ता./-

( संतोष कुमार तेजवानी )

प्रोजेक्ट हेड

रिलायन्स सीमेन्टेशन प्रा.लि. मैहर,

जिला सतना (म.प्र.).

हस्ता./-

( सुखबीर सिंह )

कलेक्टर,

जिला सतना, मध्यप्रदेश.

हस्ता./-

( आदित्य प्रताप सिंह )

मैनेजर लायजन

रिलायन्स सीमेन्टेशन प्रा.लि. मैहर,

जिला सतना (म.प्र.).

साक्षी—1.

हस्ता./-

नाम ( राजीव दीक्षित )

पता डिप्टी कलेक्टर,

जिला सतना, मध्यप्रदेश.

हस्ता./-

( विक्रान्त सराफ )

डिप्टी मैनेजर

रिलायन्स सीमेन्टेशन प्रा.लि. मैहर,

जिला सतना (म.प्र.).

साक्षी—2.

हस्ता./-

नाम ( राजेश कुमार शर्मा )

पता का.स.श्रे. 3, कार्या., भू-अर्जन अधि.

सतना.

## राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 7 मार्च 2011

क्र. भू-अर्जन-2-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से खाना (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्ति को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम			द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	देवलपुर	260	0.10	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	देवलपुर जलाशय नहर निर्माण कार्य.
		प.ह.नं. 63	259	0.08		
		रा.नि.म.	266	0.05		
		समनापुर	258	0.10		
			267	0.10		
			551/12,14,15	0.10		
			270	0.07		
			271	0.04		
			269	0.05		
			272	0.06		
			273/1	0.02		
			274	0.02		
			273/2	0.02		
			275/1	0.01		
			11/1	0.03		
			273/3	0.02		
			275/2	0.01		
			11/2	0.03		
			276	0.02		
			279	0.20		
			8	0.40		
			218/1	0.10		



---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			225	0.06		देवलपुर जलाशय नहर
			227	0.06		निर्माण कार्य.
			218/2	0.09		
			217	0.30		
			215	0.35		
			214	0.06		
			4	0.26		
			5	0.24		
			6/1, 6/2,	0.10		
			6/3, 6/4			
			14/1, 14/2,	0.10		
			14/3			
			12	0.20		
			13	0.04		
			31/1, 31/3	0.05		
			32/1	0.15		
			31/2	0.05		
			63	0.25		
			62	0.02		
			64	0.19		
			87	0.20		
			53	0.01		
			52	0.10		
			51	0.15		
			86	0.02		
			88	0.12		
			89	0.13		
			90	0.10		
			117	0.08		
			91	0.10		
			166	0.12		
			92	0.10		
			116	0.09		
			165	0.10		
			164	0.10		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
			163	0.10		देवलपुर जलाशय नहर	
			162/1	0.02		निर्माण कार्य.	
			162/2	0.02			
			162/3	0.02			
			161	0.04			
			159	0.04			
			160	0.08			
			182/2	0.03			
			182/1	0.03			
			182/3	0.02			
			557/2	0.10			
			555/1	0.20			
			554/1	0.19			
			553/1	0.10			
			552/1	0.10			
			551/3	0.25			
			551/13	0.20			
			575/1	0.20			
			575/2	0.03			
			576	0.06			
			577	0.04			
			578	0.04			
			579	0.04			
			580	0.10			
			581	0.04			
			591	0.10			
			592	0.09			
			योग . .	<u>8.00</u>			
			<b>शासकीय भूमि</b>				
			22, 582	0.13			
			कुल योग . .	<u>8.13</u>			

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 24 मार्च 2011

प्र. क्र. 07-अ-82-वर्ष 10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	बडवारा	छपरवाह प.ह.नं. 64	3.51	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग.	झिरगिरी जलाशय योजना नहर कार्य.
		लमकना	0.29		
		प.ह.नं. 67	योग . . 3.80		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कटनी, दिनांक 28 मार्च 2011

प्र. क्र. 07-अ-82-वर्ष 10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	कटनी	घुघरा प.ह.नं. 30	निजी 0.85	आयुक्त नगरपालिक निगम, कटनी	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत बैराज निर्माण.
			योग . . 0.85		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटनी एवं कार्यपालन यंत्री, नगरपालिक निगम, कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 08-अ-82-वर्ष 10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	कटनी	अमकुही प.ह.नं. 29	निजी 1.84	आयुक्त, नगर पालिक निगम, कटनी	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत बैराज निर्माण.
			योग . .		
			1.84		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटनी एवं कार्यपालन यंत्री, नगरपालिक निगम, कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 09-अ-82-वर्ष 10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	कटनी	कैलवारा खुर्द प.ह.नं. 29	निजी 4.04	आयुक्त नगर पालिक निगम, कटनी	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत बैराज निर्माण.
			योग . .		
			4.04		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटनी एवं कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम, कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-वर्ष 10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	कटनी	द्वारा प.ह.नं. 30	निजी 9.88	आयुक्त, नगर पालिक निगम, कटनी	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत बैराज निर्माण.
			योग . .		
			9.88		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटनी एवं कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम, कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 11-अ-82-वर्ष 10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	कटनी	पौसरा प.ह.नं. 30	निजी 0.50	आयुक्त नगर पालिक निगम, कटनी	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत बैराज निर्माण.
			योग . .	0.50	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटनी एवं कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम, कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 30 मार्च 2011

प्र. क्र. 01-अ-82-2010-11-नस्ती क्र. 207-2010-एलए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	अधिग्रहित की जाने वाली भूमि एवं रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	बंकापलास (वनग्राम)	कृषि भूमि सर्वे नंबर 7, 17, 20, 8, 34, 22, 36/2, 28, 40, 27, 36/1, 33, 32, 29, 9, 15, 31, 24, 25, 11, 13, 12, 3, 4, एवं 5 कुल रकबा 33.794 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, खण्डवा/ कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा/ कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एनएचडीसी, खण्डवा क्रमांक 3, में देखा जा सकता है.

क्र. 02-अ-82-2010-2011-नस्ती क्र. 207-2010-एल ए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण		धारा 4 (2) के अन्तर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम	अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का रकबा	प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
खण्डवा	हरसूद	बंकापलास (वनग्राम)	आबादी भूमि सर्वे नंबर 24कखगघ, 25कख, 26कख, 57कखग, 7कख, 14कख, 30कख, 8कख, 55कखग, 56कखगघच, 47कखग, 15कख, 32कख, 37कखगच, 46कखग, 34कख, 35कखग, 21कखग, 23कखग, 45कखगघ, 11कख, 10कखग, 2कखग, 3,4कखग एवं 5 कुल रकबा 3978.46 वर्गमीटर	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, खण्डवा/ कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा/ कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एनएचडीसी, खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 31 मार्च 2011

क्र. 628-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क), के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17(1), सह 17(4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
खरगोन	महेश्वर	पथराड़ खुर्द	42.707	महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि., मण्डलेश्वर.	महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

**नोट.**—भूमि का नक्शा (प्लान) (1) कलेक्टर जिला खरगोन, (2) भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन (3) कार्यपालन अभियंता (सिविल-1) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना, म. प्र. रा. वि. मण्डल मण्डलेश्वर, (4) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 2 अप्रैल 2011

क्र. 581-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र. 17-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि इस भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध लागू नहीं होंगे, क्योंकि इसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	पानसेमल	पिपलोद	0.930	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, बड़वानी.	देवधर तालाब परियोजना की नहर प्रणाली के निर्माण हेतु.

**नोट :**— भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन अनुविभाग, सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 582-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र. 18-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि इस भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध लागू नहीं होंगे, क्योंकि इसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	पानसेमल	बंधाराखुर्द	5.772	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, बड़वानी.	देवधर तालाब परियोजना की नहर प्रणाली के निर्माण हेतु.

**नोट :**— भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन अनुविभाग, सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 583-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र. 19-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि इस भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध लागू नहीं होंगे, क्योंकि इसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	पानसेमल	देवधर	3.160	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, बड़वानी.	देवधर तालाब परियोजना की नहर प्रणाली के निर्माण हेतु.

**नोट :—** भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन अनुविभाग, सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 584-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र. 20-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि इस भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध लागू नहीं होंगे, क्योंकि इसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	पानसेमल	दिवड़िया	3.630	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, बड़वानी.	देवधर तालाब परियोजना की नहर प्रणाली के निर्माण हेतु.

**नोट :—** भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन अनुविभाग, सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 585-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र. 21-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन



यह भी निर्देश देता है कि इस भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध लागू नहीं होंगे, क्योंकि इसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	पानसेमल	ललवानिया	0.045	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, बड़वानी.	गौरीखेड़ा तालाब परियोजना की नहर के निर्माण हेतु.

**नोट :—** भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन अनुविभाग, सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 586-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र. 22-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि इस भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध लागू नहीं होंगे, क्योंकि इसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	पानसेमल	जुनापानी	4.400	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, बड़वानी.	गौरीखेड़ा तालाब परियोजना की नहर प्रणाली के निर्माण हेतु.

**नोट :—** भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन अनुविभाग, सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 587-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र. 23-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि इस भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध लागू नहीं होंगे, क्योंकि इसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	पानसेमल	गौरीखेड़ा	4.824	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, बड़वानी.	गौरीखेड़ा तालाब परियोजना की नहर के निर्माण हेतु.

**नोट :—** भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन अनुविभाग, सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**संतोष मिश्र**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 7 अप्रैल 2011

प्र. क्र. 04-अ-82-2010-11-121.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
			सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)		
गुना	गुना	सिलावटी	444/1 में से	0.179	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गुना.	सिलावटी लघु सिंचाई परियोजना (नहर निर्माण).
			योग . .	0.179		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी गुना के न्यायालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**मुकेशचन्द गुप्ता**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 7 अप्रैल 2011

क्र. 2822-भू-अर्जन-20101.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत

अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम 1894		अर्जित की जाने वाली	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-हिवराखाण्डे रायवार ब.नं. 416 प.ह.नं.-17 रा.नि.मं.-सौंसर	रकबा 06.221 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	बेरडी से लोधीखेड़ा मार्ग निर्माण के लिये ग्राम-हिवराखाण्डेरायवार की निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.					
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.					
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग (भ/स). उपसंभाग-सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.					
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.					

छिन्दवाड़ा, दिनांक 8 अप्रैल 2011

क्र. 2846-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम, 1894		अर्जित की जाने वाली	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	
छिन्दवाड़ा	छिंदवाड़ा	ग्राम-काराघाट ब.नं. 55 प.ह.नं.-29 रा.नि.मं. छिन्दवाड़ा-1.	रकबा 317.799 हे. एवं (उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां)	कार्यपालन यंत्री, पंच व्यवपर्तन परियोजना संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पंच व्यवपर्तन वृहद् परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, संभाग-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन उप संभाग क्रमांक 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

क्र. 2847-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-मोआर ब.नं. 238 प.ह.नं.-02 रा.नि.मं.-चौरई	रकबा 311.459 हे. एवं (उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां)	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग चौरई के उप संभाग क्रमांक 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

क्र. 2848-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने

के लिये प्राधिकृत करता हूँ, उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम, 1894		अर्जित की जाने वाली	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-बारहबरयारी ब.नं. 203 प.ह.नं.-08 रा.नि.मं.-चौरई	रकबा 532.200 हे. एवं (उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां)	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन उप संभाग क्रमांक 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 2849-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम, 1894		अर्जित की जाने वाली	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-केवलारीसंभा ब.नं. 32 प.ह.नं.-2/4 रा.नि.मं.-चौरई	रकबा 256.609 हे. एवं (उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां)	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन उप संभाग क्रमांक 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

क्र. 2850-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम, 1894	अर्जित की जाने वाली		
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-सिहोरा ब.नं. 576 प.ह.नं.-29 रा.नि.मं. छिन्दवाड़ा-1	रकबा 399.778 हे. एवं (उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां)	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन उप संभाग क्रमांक 4, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

क्र. 2851-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित

भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-जम्होड़ी पंडा ब.नं. 186 प.ह.नं.-31 रा.नि.मं. छिन्दवाड़ा-1	रकबा 275.049 हे. एवं (उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां)	कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पंच व्यपवर्तन उप संभाग क्रमांक 4, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 2852-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-धनौरा ब.नं. 135 प.ह.नं.-08 रा.नि.मं. चौरई	रकबा 308.687 हे. एवं (उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां)	कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पंच व्यपवर्तन उप संभाग क्रमांक 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 11 अप्रैल 2011

क्र. 6345-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	राजगढ़	लालपुरा	00.101	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	गेरखपुरा तालाब के डूब में अर्जित भूमि का अर्जन.
		किशनपुरिया	01.182		
		परसपुरा	21.499		
		कुशलपुरा	17.966		
		रोज्या	06.083		
		रोजडखुर्द	08.380		
योग . .			55.211		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजगढ़/ भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 6347-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	राजगढ़	कंवरपुरा	1.165	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	कंवरपुरा तालाब की नहर हेतु भूमि का अर्जन.
योग . .			1.165		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजगढ़/ भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 13 अप्रैल 2011

क्र. 2760-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र.-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		क्षेत्रफल लगभग (हे. में.)	धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	पटवारी हल्का नम्बर			
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
सागर	बण्डा	पजनारी	76	7.06	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर (म. प्र.).	बीला फीडर नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—बीला फीडर नहर निर्माण हेतु ग्राम-पजनारी.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी-बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2761-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र.-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		क्षेत्रफल लगभग (हे. में.)	धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	पटवारी हल्का नम्बर			
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
सागर	बण्डा	सलैया बिनेका	75/20	6.63	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर (म. प्र.).	बीला फीडर नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है.—बीला फीडर नहर निर्माण हेतु ग्राम-सलैया बिनेका.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी-बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2762-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र.-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी

व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	पटवारी हल्का नम्बर	क्षेत्रफल लगभग (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
सागर	बण्डा	गनियारी	73/20	8.23	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर (म. प्र.).	बीला फीडर नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—बीला फीडर नहर निर्माण हेतु ग्राम-गनियारी.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी-बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क-2763-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र.-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	पटवारी हल्का नम्बर	क्षेत्रफल लगभग (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
सागर	बण्डा	पिपरिया चमारी	82	0.72	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर (म. प्र.).	बीला फीडर नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—बीला फीडर नहर निर्माण हेतु ग्राम-पिपरिया चमारी.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी-बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क-2764-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र.-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	पटवारी हल्का नम्बर	क्षेत्रफल लगभग (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
सागर	बण्डा	बगपुरा	75/20	9.20	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर (म. प्र.).	बीला फीडर नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—बीला फीडर नहर निर्माण हेतु ग्राम-बगपुरा.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी-बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क-2766-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र.-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	पटवारी हल्का नम्बर	क्षेत्रफल लगभग (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
सागर	शाहगढ़	बरखेरा	38	3.03	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर (म. प्र.).	बीला फीडर नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—बीला फीडर नहर निर्माण हेतु ग्राम-बरखेरा.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क-2767-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र.-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	पटवारी हल्का नम्बर	क्षेत्रफल लगभग (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
सागर	शाहगढ़	लवनउ	36	10.84	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर (म. प्र.).	बीला फीडर नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—बीला फीडर नहर निर्माण हेतु ग्राम-लवनउ.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी-बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क 2768-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र.-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	पटवारी हल्का नम्बर	क्षेत्रफल लगभग (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
सागर	शाहगढ़	मुड़ारीबुर्जुर्ग	37	28.81	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर (म. प्र.).	बीला फीडर नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—बीला फीडर नहर निर्माण हेतु ग्राम-मुड़ारीबुर्जुर्ग.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी-बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2769-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र.-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	पटवारी हल्का नम्बर	क्षेत्रफल लगभग (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
सागर	बण्डा	रीछई सागर	75/20	11.65	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर (म. प्र.).	बीला फीडर नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—बीला फीडर नहर निर्माण हेतु ग्राम-रीछई सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी-बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2770-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र.-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	पटवारी हल्का नम्बर	क्षेत्रफल लगभग (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
सागर	शाहगढ़	रतनपुर	47	3.31	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर (म. प्र.).	बीला फीडर नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—बीला फीडर नहर निर्माण हेतु ग्राम-रतनपुर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी-बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क-2759-प्र.भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
(1)	(2)	(3)	कुल ख. नं.	कुल रकबा (हे. में.)	(6)	(7)
सागर	रहली	महेशा	17	2.00	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 1, सागर (म. प्र.).	रहली विकासखण्ड के अंतर्गत मेंई जलाशय के नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क-2778-प्र.भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
(1)	(2)	(3)	कुल ख. नं. (4)	कुल रकबा (हे. में) (5)	(6)	(7)
सागर	गढ़ाकोटा	चक परासिया	32	26.12	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 1, सागर (म. प्र.).	रहली विकासखण्ड के अंतर्गत चनौआ बुजुर्ग जलाशय के शीर्ष कार्य (बांध) एवं नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क-2780-प्र.भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
(1)	(2)	(3)	कुल ख. नं. (4)	कुल रकबा (हे. में) (5)	(6)	(7)
सागर	रहली	धोनई	18	4.80	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 1, सागर (म. प्र.).	रहली विकासखण्ड के अंतर्गत मैनई जलाशय के शीर्ष कार्य (बांध) के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 13 अप्रैल 2011

क्र. 05-अ-82-09-10-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित

व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	रौरा	12.643	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च	हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण
		योग . .	12.643	स्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर.	कार्य हेतु भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 06-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	बस्तरी	19.98	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च	हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण
		योग . .	19.98	स्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर.	कार्य हेतु भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 13 अप्रैल 2011

भू-अर्जन प्र. क्र. एफ-11 अ-82-08-पत्र क्र. 248-भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में

उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा लगभग (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	भरोली	12.955	परियोजना प्रमुख रिलायंस सीमेन्टेशन प्रा. लि., मैहर.	रिलायंस सीमेन्टेशन सीमेंट प्लान्ट की स्थापना हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. एफ-20 अ-82-08-पत्र क्र. 247-भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा लगभग (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	बेरमा	4.752	परियोजना प्रमुख रिलायंस सीमेन्टेशन प्रा. लि., मैहर.	रिलायंस सीमेन्टेशन सीमेंट प्लान्ट की स्थापना हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. एफ-21-अ-82-08-पत्र क्र. 246-भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा लगभग (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	खेरवाकला	17.007	परियोजना प्रमुख रिलायंस सीमेन्टेशन प्रा. लि., मैहर.	रिलायंस सीमेन्टेशन सीमेंट प्लान्ट की स्थापना हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. एफ-22-अ-82-08-पत्र क्र. 245-भू-अर्जन-08.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा लगभग (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	इटहरा	12.837	परियोजना प्रमुख रिलायंस सीमेन्टेशन प्रा. लि., मैहर.	रिलायंस सीमेन्टेशन सीमेंट प्लान्ट की स्थापना हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. एफ-23-अ-82-08-पत्र क्र. 244-भू-अर्जन-08.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा लगभग (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	भैसासुर	5.506	परियोजना प्रमुख रिलायंस सीमेन्टेशन प्रा. लि., मैहर.	रिलायंस सीमेन्टेशन सीमेंट प्लान्ट की स्थापना हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. एफ-24-अ-82-08-पत्र क्र. 243-भू-अर्जन-08.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा लगभग (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	लोही	0.617	परियोजना प्रमुख रिलायंस सीमेन्टेशन प्रा. लि., मैहर.	रिलायंस सीमेन्टेशन सीमेंट प्लान्ट की स्थापना हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 29 जनवरी 2011

क्र. भू-अर्जन-50(अ-82)-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—दूधी मझौली

(घ) क्षेत्रफल लगभग—6.740 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा  
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

8	0.720
65	0.320
75	0.120
78	0.140
77	0.200
80	0.060
123	0.160
121	0.160
114	0.460
95	0.440
96	0.120
138	0.250
140	0.020
141	0.120
162	0.360
161	0.020
207	0.250
201	0.090
203	0.080

(1)	(2)
204	0.020
380	0.160
226	0.080
225	0.380
236	0.230
365	0.200
364	0.020
366	0.220
362	0.140
361	0.160
378	0.120
360	0.060
381	0.300
384/1	0.020
384/2	0.010
458	0.030
459	0.120
	योग : 6.360
	101,164,370
	0.380
	योग : 6.740

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिलघिटी जलाशय ग्राम दूधीमझौली नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

डिण्डौरी, दिनांक 2 फरवरी 2011

क्र. भू-अर्जन-49 (अ-82)-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

- (ग) ग्राम—केवलारी माल  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —3.093 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा  
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
202	0.044
201	0.024
200	0.049
197	0.108
191	0.037
383	0.216
216	0.024
217	0.046
218	0.040
219	0.084
220	0.074
225	0.068
261	0.042
260	0.048
259	0.052
258	0.052
248	0.074
249	0.146
419	0.106
420	0.070
421	0.310
423	0.032
446	0.112
445	0.056
444	0.022
442	0.028
441	0.118
443	0.094
474	0.046
473	0.140
472	0.060
470	0.120
477	0.060
476	0.076

योग : 2.678

194,185,193, | 0.415  
180,177,242 |

योग : 3,093

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—केवलारी जलाशय ग्राम केवलारी मा. नहर निर्माण हेतु.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 14 मार्च 2011

क्र.10-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दतिया  
(ख) तहसील—दतिया  
(ग) ग्राम—बडौनी खुर्द  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.77 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
86	0.10
435	0.12
436	0.32
437	0.10
438	0.07
439	0.07
440	0.07
441	0.01
453	0.05
454	0.19
470	0.17
472	0.10
473	0.12

(1)	(2)	(1)	(2)
		1767	0.47
479/1	0.07	1942	0.20
479/2	0.07	1943	0.47
479/3	0.07	1944	0.15
494	0.02	1947	0.43
497	0.01	1948	0.04
498	0.03		
499	0.02		योग : 9.77
500	0.03		
501	0.02	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता—सिंध परियोजना
502	0.01		आर.बी.सी. की (महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की
505	0.04		उपशाखाओं 13 आर माइनर एवं 9 आर माइनर (रामसागर
506	0.02		पोषक नहर) के निर्माण हेतु.
507	0.02		
508	0.02	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन
802	0.07		शाखा कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा
803	0.03		सकता है.
806	0.03		
807	0.12		क्र.13-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात
1768	0.33		का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में
1770	0.05		वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक
1793	0.49		प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894
1800	0.32		(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह
1801	0.36		घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए
1802	0.36		आवश्यकता है:—
1928	0.21		
1929	0.33		
1930	0.40		
1933	0.24		
1934	0.67		
1935	0.53		
1936	0.43		
1939	0.09		
1940	0.14		
1941	0.19		
480/1	0.10		
480/2	0.12		
489	0.02		
490	0.01		
491	0.03		
811	0.08		
812	0.04		
813	0.08		
814	0.08		
1764	0.12		

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दतिया

(ख) तहसील—दतिया

(ग) ग्राम—करा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.49 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा  
(हे. में)

(1)

(2)

198

0.17

199

0.07

200

0.04

203

0.02

209

0.19

योग : 0.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता—सिंध परियोजना आर.बी.सी. की (महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की उपशाखाओं आर एम-9 (रामसागर पोषक नहर) के निर्माण हेतु.	(1)	(2)
	95	0.20
	96	0.08
	115	0.02
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.	119	0.25
	120	0.09
	122	0.20
	123	0.07
	124	0.09
	134/2	0.23
	135	0.03
	138	0.06
	139	0.02
		योग : 4.53

क्र.14-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दतिया

(ख) तहसील—दतिया

(ग) ग्राम—भैरार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.53 हेक्टेयर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता—सिंध परियोजना आर.बी.सी. की (महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की उपशाखाओं आर एम-9 (रामसागर पोषक नहर) के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
67	0.17
71/1	1.08
72	0.05
73	0.09
74	0.30
78	0.12
79	0.17
80	0.02
82	0.32
83/1	0.04
83/3	0.15
84/1	0.02
84/2	0.01
84/3	0.02
85	0.23
86	0.15
87	0.12
91	0.13

क्र. 15-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दतिया

(ख) तहसील—दतिया

(ग) ग्राम—तिवारीपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.69 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
143	0.30
146	0.09

(1)	(2)	(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता.—सिंध परियोजना आर.बी.सी. की (महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की उपशाखा 9 आर माइनर (रामसागर पोषक नहर) के निर्माण हेतु.
147	0.20	
148	0.20	
149	0.09	
150	0.10	
151	0.06	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
153	0.11	
156	0.05	
157	0.04	
158	0.09	
159	0.05	
160	0.04	
161	0.23	
162	0.11	
164	0.25	
181	0.17	
193	0.03	
203	0.49	
204	0.45	
206	0.15	
207	0.62	
208	0.21	
920	0.27	
921	0.09	
926	0.98	
927	0.15	
938	0.05	
939	0.18	
955	0.37	
963	0.36	
964	0.23	
965	0.64	
966	0.02	
1000	0.30	
1002	0.48	
1004	0.41	
1006	0.37	
1007	0.59	
1008	0.63	
1141	0.37	
1142	1.38	
1143	0.11	
1144	0.58	

दतिया, दिनांक 28 मार्च 2011

क्र. 8-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दतिया

(ख) तहसील—दतिया

(ग) ग्राम—रैपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.13 हेक्टेयर.

	खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
	(1)	(2)
	80	0.05
	85	0.01
	86	0.08
	87/1	0.10
	87/2	0.20
	89	0.01
	95	0.05
	96	0.04
	97	0.26
	98	0.04
	101	0.13
	107	0.02
	108	0.30
	109	0.05
	110	0.01
	111	0.02
योग :	12.69	

(1)	(2)	(1)	(2)
114/1	0.20	200	0.37
114/2	0.49	206	0.18
115	0.01	207	0.01
116	0.01	210	0.01
117	0.04	211	0.22
122	0.01	269/1	0.24
	<u>योग : 2.13</u>	269/2	0.06
		274	0.01
(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता—सिंध परियोजना आर.बी.सी. की (महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की डी-9 की शाखा एल.एम.-1 नहर के निर्माण हेतु.		275	0.38
		276	0.34
		277/2	0.01
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.		281	0.01
		282	0.15
		283	0.08
		284	0.06
		295	0.40
क्र. 9-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—		299	0.10
		300	0.27
		301	0.01
		302	0.11
		303	0.30
		307	0.17
		309	0.31
		310	0.10
		<u>योग : 4.42</u>	

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दतिया

(ख) तहसील—दतिया

(ग) ग्राम—नंदपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.42 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1	0.13
2	0.12
193	0.05
196	0.20
199	0.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता—सिंध परियोजना आर.बी.सी. की (महुअर नदी पश्चात्)की डी-9 की शाखा आर. एम-2 शाखा की उपशाखा आर-1 नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 16-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—		(1)	(2)
अनुसूची		188	0.01
		189	0.15
(1) भूमि का वर्णन—		190	0.09
(क) जिला—दतिया		193	0.02
(ख) तहसील—दतिया		194	0.04
(ग) ग्राम—बामरौल		196	0.03
(घ) लगभग क्षेत्रफल —5.88 हेक्टेयर.		202	0.15
खसरा नम्बर	रकबा	203	0.01
	(हे. में)	204	0.05
(1)	(2)	205	0.05
		209	0.03
		230	0.10
19	0.01	229/2	0.02
20	0.11	239	0.10
21	0.05	238/2	0.11
27	0.03	257/2	0.17
28	0.13	279	0.10
29	0.08	282	0.03
30	0.16	321	0.05
31	0.06	322	0.01
45	0.02	323	0.06
47	0.01	324	0.16
48	0.12	333	0.07
49	0.11	334	0.03
50	0.10	335	0.02
51	0.05	336	0.08
54	0.08	346	0.01
55	0.06	347	0.05
57	0.10	348/1	0.09
85	0.04	348/2	0.13
104	0.07	349	0.10
105	0.10	353	0.14
107	0.09	382	0.04
117	0.01	383	0.03
118	0.07	384	0.03
121	0.02	394	0.17
122	0.39	395	0.02
178	0.08	396	0.02
179	0.04	397	0.02
180	0.03	398	0.04
186	0.11	400	0.07
187	0.02	403	0.02

(1)	(2)	(1)	(2)
437	0.11	650	0.22
438	0.07	651	0.09
439	0.01	652	0.03
440	0.13	657	0.05
440/522	0.04	658	0.22
441	0.01	659	0.14
442	0.08	660/1	0.10
453/1	0.30	660/2	0.01
455	0.06	734	0.24
योग : 5.88		735	0.32
(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता—सिंध परियोजना		755	0.51
आर.बी.सी. की (महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर डी-9		759	0.25
की शाखा नहर आर.एम.-3, एल. एम.-4, एल.एम.-5		785	0.45
एवं एल.एम.-5 की उपशाखा आर-1 नहर के निर्माण		843	0.22
हेतु.		938	0.01
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन		948	0.09
शाखा कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा		954	0.11
सकता है.		956	0.21
दतिया, दिनांक 30 मार्च 2011		958	0.01
क्र. 18-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात		960	0.10
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में		961	0.32
वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक		966	0.05
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894		967	0.17
(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह		968	0.02
घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए		969	0.11
आवश्यकता है:—		970	0.08
अनुसूची		975	0.10
(1) भूमि का वर्णन—		976	0.10
(क) जिला—दतिया		977	0.02
(ख) तहसील—दतिया		978	0.20
(ग) ग्राम—ओरीना		979	0.03
(घ) लगभग क्षेत्रफल —11.06 हेक्टेयर		980	0.15
खसरा नम्बर	रकबा	1007/1	0.22
	(हे. में)	1007/2	0.15
(1)	(2)	1008	0.01
642	0.08	1009	0.02
643	0.24		
645	0.16		



(1)	(2)	(1)	(2)
1016	0.01	1206	0.21
1017	0.03	1208	0.05
1018	0.18	1209	0.10
1019	0.06	1237	0.09
1025	0.08	1238	0.09
1026	0.08	1239	0.05
1027	0.11	1240	0.12
1056	0.01	1246	0.01
1057	0.12	1250	0.05
1059	0.22	1251	0.08
1060	0.12	1253	0.14
1061	0.03	1254	0.15
1062	0.18	1255	0.13
1063	0.07	1256	0.14
1141	0.12	1257	0.03
1142	0.10	1258	0.03
1143	0.04	1292	0.29
1146	0.07	1293	0.03
1147	0.07	1298	0.02
1148	0.32	1299	0.12
1149	0.03	1300	0.19
1150	0.02	1303	0.02
1176	0.01	1304	0.11
1177	0.04	1305	0.01
1178	0.02	1312	0.24
1179	0.03	1313	0.29
1180	0.02		
1181	0.02		
1182	0.01		
1183	0.08		
1184	0.07		
1185	0.14		
1186	0.06		
1187	0.02		
1205	0.07		

योग : 11.06

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता—सिंध परियोजना आर.बी.सी. की (महुअर नदी पश्चात्)की डी-5 डिस्ट्रीब्यूटरी की शाखा नहर 5 आर. 7 आर. के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 19-अ-82-2010-11.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात	(1)	(2)
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में	315	0.13
वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक	316	0.02
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894	323	0.03
(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह	324	0.16
घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए	325	0.06
आवश्यकता है:—	337	0.15

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दतिया

(ख) तहसील—दतिया

(ग) ग्राम—ओरीना

(घ) लगभग क्षेत्रफल —10.39 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

63

0.10

64

0.19

65

0.03

66

0.10

67

0.46

73

0.12

74

0.08

76

0.15

77

0.02

190

0.04

191

0.04

208

0.02

209

0.17

210

0.32

211

0.05

218/1453

0.18

219

0.02

219/1452

0.11

221

0.28

222

0.02

224

0.02

224/1454

0.08

226/1455

0.08

228

0.03

228/1456

0.25

311

0.05

313

0.02

314

0.05

(1)

315

316

323

324

325

337

341

342

350

351

352

353

355

374/2

374/3

375

383

384

387

388

389

390

394

682

683

686

697

698

699

700

701

702

706

709

710

711

योग : 10.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता—सिंध परियोजना आर.बी.सी. की (महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की डी-5 डिस्ट्रीब्यूटरी एवं शाखा नहर 10 आर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 20-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दतिया

(ख) तहसील—दतिया

(ग) ग्राम—ओरीना

(घ) क्षेत्रफल लगभग—12.97 हे.

खसरा नम्बर

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

392

0.02

394

0.08

395

0.14

396

0.18

397

0.28

422

0.45

426

0.18

427

0.16

428

0.28

429

0.11

513

0.45

514

0.25

533

0.28

546

0.05

547

0.04

548

0.13

549

0.23

550

0.09

554

0.11

555

0.22

556

0.20

557

0.27

558/1

0.18

558/2

0.01

562

0.23

563

0.02

569/2

0.01

570

0.12

(1)

(2)

571

0.42

573

0.41

576

0.38

577

0.18

578

0.10

579

0.48

580

0.05

598

0.13

601

0.02

602

0.35

608

0.12

609

0.31

611

0.18

613

0.03

614

0.77

617

0.11

625

0.01

627

0.18

628

0.25

629

0.25

630

0.01

631

0.23

623

0.01

669

0.01

671

0.27

672

0.25

674

0.17

675

0.20

676

0.21

677

0.17

678

0.02

949

0.30

950

0.29

1084

0.05

1085

0.04

1086

0.28

1088

0.04

1089

0.12

1094

0.41

1095

0.10

1098

0.02

योग : 12.97

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता.—सिंध परियोजना आर.बी.सी. की (महुअर नदी पश्चात्) की डी-5 डिस्ट्रीब्यूटरी एवं शाखा नहर 8-एल, 9-एल के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्टर दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जयश्री क्रियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 28 मार्च 2011

क्र. एफ 796-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म.प्र. शासन / निजी खाता)
- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—मैहर  
(ग) नगर/ग्राम—पाला  
(घ) क्षेत्रफल—0.392 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
170/2	0.079
504	0.313
निजी खाता भूमि योग : 0.392	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.—सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण बावत्.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ 798-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)

में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म.प्र. शासन / निजी खाता)
- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—मैहर  
(ग) नगर/ग्राम—सुहौला  
(घ) क्षेत्रफल—0.020 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
16/1क	0.010
16/2क	0.010
निजी खाता भूमि योग : 0.020	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण बावत्.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ 797-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म.प्र. शासन / निजी खाता)
- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—मैहर  
(ग) नगर/ग्राम—यदुबीरनगर  
(घ) क्षेत्रफल 0.080 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
13/2	0.080
निजी खाता भूमि योग : 0.080	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.—सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण बावत्.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ 799-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म.प्र. शासन / निजी खाता)
- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—मैहर
- (ग) नगर/ग्राम—पथरहटा
- (घ) क्षेत्रफल—0.352 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
937/1/1	0.253
937/2/1	0.031
786/1ख	0.068

निजी खाता भूमि योग : 0.352

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण बावत्.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**सुखबीर सिंह**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास  
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 30 मार्च 2011

क्र. 483-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी / शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—सिरमौर
- (ग) नगर/ग्राम—उमरी कोठार
- (घ) क्षेत्रफल लगभग—5.936 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
780	0.802
781	0.492
782	0.565
783	0.147
784	0.225
785	0.068
789	0.440
790	0.041
793	0.236
794	0.150
807	0.127
808	0.736
842	0.436
843	0.040
847	0.935
4234	0.496

योग : 5.936

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 485-भू-अर्जन-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा

घोषित किया जाता है कि निजी / शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम—सगरा-534

(घ) क्षेत्रफल लगभग—4.210 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
194	1.653
272	2.477
योग : 4.130	

### म. प्र. शासन

193	0.050
197	0.030
योग : 0.080	
महायोग : 4.210	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 487-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी / शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) ग्राम—पटना कोठार

(घ) क्षेत्रफल लगभग—1.954 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
108	0.065
237	0.243
238	0.162
239	0.155
242	0.505
243	0.220
250	0.065
258	0.085
259	0.450
260	0.004
योग : 1.954	
शासकीय	-
कुल योग : 1.954	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत कटकी शाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाले निजी / शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 489-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी / शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) ग्राम—डिहिया पैपखार 211

(घ) क्षेत्रफल लगभग—2.972 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
79	0.065
98	0.554

(1)	(2)
100	0.008
101	0.168
103	0.296
108	0.160
113	0.360
117	0.368
118	0.052
119	0.100
120	0.108
121	0.128
122	0.004
123	0.004
129	0.128
130	0.089
132	0.380

योग : 2.972

म.प्र. शासन

महायोग : 2.972

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत कटकी शाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाले निजी / शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 6 अप्रैल 2011

दिनांक 26-11-2010 से अधिनियम की धारा 17(1) सह 17(4) की अर्जेन्सी क्लोज की अनुमति प्राप्त है:—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी कृषि भूमि

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—कसरवाद

(ग) ग्राम का नाम—अमलाथा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.633 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	डूब का रकबा (हे. में)
(1)	(2)
4/2	0.991
13/1/1/क	0.230
13/2/1 पैकी	0.324
13/2/2 पैकी	0.105
13/3 पैकी	0.121
18/1 पैकी	0.064
27/4 पैकी	0.200
44	1.093
89/1/1 पैकी	0.004
90/1/1	
89/2/1 पैकी	0.008
90/2/1	
173 पैकी	0.041
204 पैकी	0.120
208/3 पैकी	0.007
253	0.809
257	3.205
264	2.974
266/2 पैकी	1.174
267/3 पैकी	0.016
275	0.210
276 पैकी	0.445
279	0.044
280	0.004
289 पैकी	0.037
290 पैकी	0.100
293 पैकी	0.008
295/1 पैकी	0.007
296 पैकी	0.008
397/2 पैकी	0.004
414 पैकी	0.004
426 पैकी	0.004
440	0.020
441	0.041

क्र. 639-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के पत्र क्रमांक 814-05-कोर्ट-10 इन्दौर,

(1)	(2)
451/2 पैकी	0.004
453/1 पैकी	0.010
453/2 पैकी	0.030
454	0.093
455 पैकी	0.008
458 पैकी	0.040
460 पैकी	0.006
464	0.020

योग : 12.633

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) 1-कलेक्टर जिला खरगोन, 2-भू-अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर खरगोन, 3-कार्यपालन अभियंता (सिविल) महेश्वर जल विद्युत परियोजना / म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4-महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 631-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के पत्र क्रमांक 873-05-कोर्ट-10 इन्दौर, दिनांक 24-12-2010 से अधिनियम की धारा 17(1) सह 17(4) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—निजी कृषि भूमि

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—कसरावद

(ग) ग्राम का नाम—भट्टयाण बुजूर्ग

(घ) लगभग क्षेत्रफल—64.648 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर डूब का रकबा  
(हे. में)

(1)	(2)
7 पैकी	1.303
8/1 पैकी	0.591
8/2	2.023

(1)	(2)
10	1.457
15/2 पैकी	0.473
19/2	0.809
23	0.340
28 पैकी	1.100
33 पैकी	0.020
34 पैकी	0.170
36 पैकी	0.364
38/2/1 पैकी	0.101
38/2/2 पैकी	0.223
41/1 पैकी	0.267
41/2 पैकी	0.231
44/1 पैकी	0.186
57/1 पैकी	0.307
58/1 पैकी	0.008
58/2 पैकी	0.150
61 पैकी	0.145
69 पैकी	0.028
70	0.032
71	0.036
72	0.101
73	0.081
75	0.036
77	0.032
78	0.036
79	0.036
80	0.036
84	0.093
85	0.057
86/1	0.044
86/2	0.049
87	0.121
89/1	0.048
89/2	0.053
90/1	0.049
90/2	0.028
91/1	0.028
92/1	0.021
92/2	0.024
92/3	0.024
93	0.044
94	0.049
96/1/2	0.024
96/2	0.028
96/3	0.028



(1)	(2)	(1)	(2)
97	0.049	149	0.036
98	0.049	150	0.044
100	0.061	151	0.024
101/1	0.036	152	0.016
101/2	0.036	153/1	0.024
101/3	0.037	153/2	0.012
102	0.057	153/3	0.017
103	0.053	154	0.016
104	0.097	155	0.016
107	0.093	156	0.045
108	0.032	157/1	0.024
109	0.045	157/2	0.029
110	0.081	158	0.032
116	0.036	159/1	0.021
117	0.040	159/2	0.016
119	0.057	159/3	0.016
121	0.161	160	0.073
122	0.085	163	0.024
123/1	0.040	164	0.020
123/2	0.053	165	0.020
123/3	0.040	166/1	0.016
124/1	0.021	166/2	0.008
124/2	0.024	166/3	0.008
126/1	0.073	167/1	0.012
126/2	0.069	167/2	0.012
127	0.101	170	0.012
129	0.073	171	0.036
130	0.040	172	0.053
131	0.081	173/1	0.021
133	0.041	173/2	0.020
135/1	0.020	173/3	0.020
135/2	0.020	174	0.024
136	0.081	175	0.089
137	0.036	176	0.057
138	0.004	177/1/2	0.016
139	0.020	177/2	0.033
140	0.016	179 पैकी	0.081
141	0.045	180/1 पैकी	0.004
142	0.053	180/2	0.052
143	0.049	182/1	0.021
144/1	0.109	182/2	0.024
144/2	0.057	182/3	0.024
145	0.045	182/4	0.024
147	0.057	183 पैकी	0.032
148	0.052	185/1 पैकी	0.024

(1)	(2)	(1)	(2)
185/2 पैकी	0.024	250/1	2.023
187 पैकी	0.040	250/2	2.023
188 पैकी	0.004	251/1	2.023
189 पैकी	0.008	251/2	0.993
191 पैकी	0.004	252/1	2.023
204/1 पैकी	1.562	253/1	1.619
204/2 पैकी	1.416	253/2	0.809
204/3 पैकी	1.044	253/3	0.809
204/4 पैकी	1.416	253/4	0.809
205 पैकी	0.028	255/1	2.023
206/1	0.021	255/2	2.023
206/2	0.020	255/3 पैकी	1.813
207 पैकी	0.040	256/1 पैकी	0.089
211	0.037	258 पैकी	0.040
213	0.271	259/1 पैकी	1.375
214	0.081	259/2 पैकी	1.060
216	0.061	266 पैकी	0.227
217	0.057	267 पैकी	0.073
218	0.040	270/2	0.535
219	0.073	280 पैकी	0.340
220	0.016	281/1 पैकी	1.375
221	0.032	281/2 पैकी	1.643
224/1	0.024	282/1 पैकी	0.085
224/2	0.045	282/3	0.486
225	0.012	284 पैकी	0.729
227	0.170	285/1 पैकी	0.056
229	0.036	285/6 पैकी	0.298
232	0.040	288 पैकी	0.081
233	0.020	289/2 पैकी	0.162
234	0.032	292 पैकी	0.809
235	0.032	293	0.016
237	0.040	295	0.202
239/2	0.020	301 पैकी	0.056
242/1	0.206	305 पैकी	0.293
242/2	0.211	306/1 पैकी	0.044
243	0.008	320 पैकी	0.040
245/1	1.214	468	0.235
246	2.023	471	0.008
247	1.780	477 पैकी	0.073
249/1	1.214	478/1 पैकी	0.809
249/2	2.023	478/2 पैकी	0.251
249/3 पैकी	1.521	478/3 पैकी	0.121
249/4 पैकी	0.607	299/616 पैकी	0.073
249/5 पैकी	0.385		
249/6	0.809		
			योग : 64.648

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.	(1)	(2)
	4/14	0.057
	4/4	0.104
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) 1-कलेक्टर जिला खरगोन, 2-भू-अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर खरगोन, 3-कार्यपालन अभियंता (सिविल) महेश्वर जल विद्युत परियोजना / म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4-महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.	4/5	0.104
	4/6	0.110
	4/8	0.260
	4/15	0.080
	6/1	0.081
	6/2	0.050
	6/3	0.121
	7	0.110
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	8/1	0.070
	8/2	0.181
	8/5	0.100
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	9/2	0.081
	37/1	0.041
बैतूल, दिनांक 6 अप्रैल 2011	37/2	0.081
	36/1	0.600
प्र. क्र. 2-अ-82-वर्ष 2009-10-2595.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	36/2	0.120
	36/3	0.081
	40/1	0.460
	43	0.216
	46	0.720

योग : 6.987

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल

(ख) तहसील—भैंसदेही

(ग) नगर/ग्राम—बरखेड, प.ह.नं. 61

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.987 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
15	0.325
16	0.340
18/6	0.470
18/2	0.050
18/5	0.200
13/1	0.050
13/2	0.440
18/3	0.130
12	0.920
4/13	0.085
4/3	0.085
4/7	0.064

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—राबड्या जलाशय नहर में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री (जल संसाधन क्र.-2, बैतूल) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-वर्ष 2009-10-2597.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल

- (ख) तहसील—आठनेर  
(ग) नगर/ग्राम—राबड्या, प.ह.नं. 51  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.808 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
90/13	0.200
90/2	0.345
90/12	0.263
योग : 0.808	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—राबड्या जलाशय नहर में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.  
(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री (जल संसाधन क्र.-2, बैतूल) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-वर्ष 2009-10-2594.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—  
(क) जिला—बैतूल  
(ख) तहसील—भैंसदेही  
(ग) नगर/ग्राम—धामोरी, प.ह.नं. 52  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.798 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
197	0.082
198	0.220
199	0.154
200	0.170
201/1	0.172
योग : 0.798	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—राबड्या जलाशय नहर में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.  
(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री (जल संसाधन क्र.-2, बैतूल) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**विजय आनंद कुरील**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 8 अप्रैल 2011

क्र. 2-अ-82-वर्ष 2009-10-भू. अ. अ.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद पर (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—  
(क) जिला—कटनी  
(ख) तहसील—कटनी  
(ग) ग्राम—1. मगरेहटा 2. परईकाप  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.30 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
ग्राम—मगरेहटा अशासकीय भूमि	
57	0.14
53	0.10
52	0.29
65	0.16
66	0.17
70	0.01
68	0.05
69	0.02

(1)	(2)	(1)	(2)
138	0.06	92	0.33
76	0.08	128/1	0.10
132	0.15	128/2	
78	0.01	129	0.18
133	0.06	130	0.06
139	0.10	123	0.05
141	0.08	132	0.10
137/1	0.02	133	0.06
137/2		134	0.03
140	0.04	135	0.01
129	0.13	121	0.02
113	0.11	136	0.08
112	0.04	138	0.01
114	0.07	137/1	0.14
110	0.10	150/1	
109	0.03	150/2	0.17
117	0.28	150/3	
118	0.09	150/4	
125	0.12	76/1	
151	0.15	76/2	0.10
59	0.44	76/3	
61	0.14	76/4	
62	0.11	90/1, 90/2, 90/3, 90/4	0.04
180	0.05	89	0.09
63	0.38	योग :	2.28
176	0.38		
178/नद/1	0.22	ग्राम— मगरेहटा शासकीय भूमि	
178/2		51	0.01
179	0.22	67	0.01
182	0.05	77	0.02
181	0.22	134	0.05
141	0.03	142	0.25
143	0.20	119	0.26
146	0.09	योग :	0.60
155	0.23		
योग :	5.42	कुल योग :	8.30

## ग्राम— परईकाप अशासकीय भूमि

90/1	
90/2	0.68
90/3	
90/4	
88	0.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये अर्जन आवश्यकता है.—मगरेहटा जलाशय की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**एम. सेलवेन्द्रन**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 8 अप्रैल 2011

क्र. 2853-भू-अर्जन-2011.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
(ख) तहसील—पांडुर्णा  
(ग) नगर/ग्राम—पीपरपानी, प.ह.नं. 16/40,  
ब.नं. 244, रा.नि. मंडल-नांदनवाड़ी.  
(घ) अर्जित किये जाने —0.202 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित  
वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली  
क्षेत्रफल. सम्पत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
504/1	0.202
कुल योग . .	0.202 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बिछुआसानी जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण के लिये ग्राम-पीपरपानी की निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग, तहसील पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा में भी किया जा सकता है.

क्र. 2854-भू-अर्जन-2011.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
(ख) तहसील—पांडुर्णा  
(ग) ग्राम—बिछुआसानी, प.ह.नं. 39  
ब.नं. 274, रा.नि. मंडल-नांदनवाड़ी  
(घ) अर्जित किये जाने —08.510 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित  
वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली  
क्षेत्रफल. सम्पत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
168/1	0.367
167/1	0.144
167/2	0.069
167/3	0.069
169/1	0.264
170/2	0.111
170/3	0.199
163	0.260
174/3	0.151
177/1	0.083
177/2	0.139
175/1	0.151
178/1	0.069
178/2	0.148
179/1	0.159
179/3	0.159
179/4	0.046
87/4	0.195
87/5	0.101
87/1	0.046

(1)	(2)
106/1	0.116
118	0.065
119	0.051
135	0.112
136	0.287
138	0.237
151/2	0.069
149/1	0.139
224/2	0.301
335/2	0.236
339/2	0.093
340	0.093
343	0.139
62	0.121
68/3	0.126
67/3	0.065
67/1	0.061
56	0.151
55/1	0.105
55/2	0.105
53	0.061
49	0.151
30	0.389
28	0.231
25/1, 25/6	0.093
25/2, 25/4	0.041
25/3, 25/5	0.046
25/7, 25/8	0.046
231/4	0.287
234	0.312
325	0.158
323/2	0.211
322	0.231
319/2	0.121
320	0.018
307	0.142
308	0.265
303/7	0.105
कुल योग . .	08.510 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता

है—बिछुआसानी जलाशय योजना के अन्तर्गत एल.बी.सी. एवं आर.बी.सी. नहर निर्माण के लिए ग्राम-बिछुआसानी की निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग, तहसील पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**पवन कुमार शर्मा**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 13 अप्रैल 2011

क्र. 2758-भू-अर्जन-11 प्र. क्र. 11-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—  
(क) जिला—सागर  
(ख) तहसील—सागर  
(ग) ग्राम—खमकुआ, प.ह.नं. 34  
(घ) लगभग क्षेत्रफल —10.04 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर में से	रकबा (हे. में)
(1)	(2)

168/5	0.209
168/4	0.422





(1)	(2)	(1)	(2)
186	0.024	27/4	0.060
330	0.252	26/2	0.252
340	0.181	80/1	0.030
329	0.16	81	0.010
325	0.208	24	0.158
321	0.271	13	0.192
320	0.073	12	0.221
341/2	0.002	11	0.160
	योग : 2.746	10/1	0.244
		10/2	0.244

योग : 2.793

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—टिकारी जलाशय योजना की नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—टिकारी जलाशय योजना की नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 2773-भू-अर्जन-11 प्र. क्र. 3-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सागर
- (ख) तहसील—केसली
- (ग) ग्राम—खरखरी, प.ह.नं. 002
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.793 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर में से	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
35/1	0.060
35/2	0.354
38/1	0.010
37	0.451
40	0.033
75	0.294
27/2	0.020

क्र. 2776-भू-अर्जन-11 प्र. क्र. 4-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सागर
- (ख) तहसील—केसली
- (ग) ग्राम—मोंहासा, प.ह.नं. 002
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.409 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर में से	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
4	0.096
5	0.086
6	0.227
	योग : 0.409

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—टिकारी जलाशय योजना की नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर.	(1)	(2)
	942/2	0.82
	955/1	0.15
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.	955/2	
	983	0.13
	986	0.55
क्र. 2783-भू-अर्जन-2010 प्र. क्र. 04-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—	999/1	0.05
	995	0.21
	998/1	
	998/2	0.30
	998/3	
	951	0.12
	952	0.15
	950	0.16
(1) भूमि का वर्णन—	949	0.13
(क) जिला—सागर	948	0.08
(ख) तहसील—बण्डा	946/2	0.42
(ग) नगर/ग्राम—बम्होरी जगदीश	946/1	0.20
(घ) लगभग क्षेत्रफल—58.83 हेक्टेयर.	930	0.52
सर्वे	931	0.82
नम्बर	(हे. में)	932
(1)	(2)	921
1062	0.45	934
1054	0.19	936/1
1052	0.45	936/2
1003	0.25	906
1002/1		938/1
1002/2	0.35	938/2
1002/3		938/3
982/2	0.02	938/4
956	0.09	903
953	0.30	901
954/1		882
954/2	0.74	696
954/3		697
947	0.03	695
944	0.30	687
945	0.15	688
946/1	0.25	689
943	0.22	

(1)	(2)	(1)	(2)
881	0.10	987	1.08
884	0.30	988/1	1.62
885	1.07	988/2	0.80
886	0.45	979	1.21
888	1.13	980/1	0.42
887	0.52	980/2	1.50
889	1.42	958	0.19
890	0.41	959/1	0.56
891/1	0.25	959/2	
891/2	0.25	960/1	0.55
891/3	0.25	960/2	
892	0.40	961	1.53
893	0.43	962	0.43
894	0.75	963	0.35
895	1.88	966	0.25
902	0.71	967	0.13
905	0.15	978	0.25
896	1.87	964/1	0.78
908/1	0.05	964/2	
908/2	0.35	965	0.13
909	0.55	980	0.26
910	0.59	683	0.17
912	0.58	682	0.40
913	0.43	684	0.56
914	0.95	685	1.02
937	0.64	681	0.28
933	0.73	686	0.38
942/1	0.83	935/1	1.65
941/1	0.27	935/2	
941/2	0.27		
940	2.13		
938/1	0.40		
938/2	0.39		
939	0.96		
981	4.23		
984/1	0.64		
984/2	1.27		
985	1.35		

योग : 58.83

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—बम्होरी जगदीश जलाशय बांध, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल, एप्रोच चैनल एवं नहर में अर्जित भूमि का विवरण योजना के नहर निर्माण का भू-अर्जन ग्राम बम्होरी जगदीश.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर जिला सागर, के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 2787-भू-अर्जन-11 प्र. क्र. 2-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—केसली

(ग) ग्राम—खमरिया, प.ह.नं. 002

(घ) लगभग क्षेत्रफल —5.031 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा
में से	(हे. में)
(1)	(2)
397	0.204
434	0.003
431	0.177
432	0.083
398	0.158
395	0.010
435	0.133
436	0.234
430	0.088
426	0.016
428	0.133
418	0.175
419/2	0.090
419/3	0.092
420/1	0.027
420/2	0.028
421	0.016
407	0.019
406	0.062
408	0.065
409	0.011
415	0.236
507	0.017

(1)	(2)
509/1	0.100
509/2	0.090
509/3	0.100
330	0.094
327	0.837
318	0.243
319	0.091
320/1	0.177
317/1	0.060
317/2	0.200
317/3	0.200
301/1	0.010
301/2	0.060
302	0.303
303	0.077
298/1	0.069
298/2	0.243
योग : 5.031	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—टिकारी जलाशय योजना की नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2788-भू-अर्जन-11 प्र. क्र. 6-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—केसली

(ग) ग्राम—भौहारा, प.ह.नं. 001	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल —7.994 हेक्टेयर.	70	0.057
सर्वे नम्बर	207	0.240
में से	(हे. में)	योग : 7.994
(1)	(2)	

228 0.048

229 0.328

233/1 0.09

234/1 0.092

247 0.165

248 0.738

255 0.209

256 0.281

206 0.966

202 0.108

205/3 0.254

214/334 0.041

200 0.049

201/3 0.083

203/2 0.225

98 0.240

99/2 0.283

93 0.540

89 0.072

88 0.084

87/1 0.127

87/2 0.127

86/2 0.096

81/1 0.240

81/3 0.250

60/2 0.145

60/3 0.145

61 0.149

37 0.419

36/1 0.187

36/2 0.186

68 0.362

69/2 0.368

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—टिकारी जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 2794-भू-अर्जन-11 प्र. क्र. 12-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—सागर

(ग) ग्राम—चतुरभटा, प.ह.नं. 33

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.118 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा

में से

(हे. में)

(1)

(2)

9/2

0.212

10/3

0.257

13

0.649

योग : 1.118

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—टिकारी जलाशय योजना की बायीं नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 2795-भू-अर्जन-11 प्र. क्र. 5-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—	(1)	(2)
	113/1	0.057
	112	0.170
	110	0.145
	122/2	0.190
	122/1	0.190
	138	0.152
	136	0.029
	137	0.094
	134/1	0.208
	132	0.325
	133	0.067
	359/2	0.135
	359/3	0.240
	359/4	0.480
	392	0.141
	393	0.022
	383	0.114
	382	0.343
	384	0.161
	379/2	0.011
	379/3	0.010
	378/1	0.322
	378/2	0.029
	377	0.341
		योग : 6.547

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—केसली

(ग) ग्राम—नवलपुर, प.ह.नं. 001

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.547 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा
में से	(हे. में)

(1)	(2)
-----	-----

14	0.272
----	-------

123	0.032
-----	-------

13	0.334
----	-------

15	0.010
----	-------

11/1	0.165
------	-------

43/2	0.235
------	-------

44	0.009
----	-------

67/4	0.174
------	-------

66/1	0.210
------	-------

66/2	0.11
------	------

65/3	0.077
------	-------

65/2	0.044
------	-------

70	0.075
----	-------

111	0.056
-----	-------

72	0.195
----	-------

76	0.252
----	-------

77/2	0.101
------	-------

78	0.220
----	-------

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—टिकारी जलाशय योजना की नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 31 मार्च 2011

क्र. क्यू-भू-अर्जन-408.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शिवपुरी  
(ख) तहसील—करैरा  
(ग) नगर/ग्राम—राजगढ़  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.12 हेक्टर

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
143	0.12
योग . .	0.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—सिन्ध परियोजना उकायला मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-409.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शिवपुरी  
(ख) तहसील—नरवर  
(ग) नगर/ग्राम—कोंडर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.20 हेक्टर

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
679/2/1	0.10
681/1	0.09
681/3	0.01
योग . .	0.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—सिन्ध परियोजना उकायला मुख्य नहर की डी-1 वितरिका शाखा की कोंडर मायनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

शिवपुरी, दिनांक 8 अप्रैल 2011

क्र. 1012-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय

- (क) जिला—शिवपुरी  
(ख) तहसील—खनियांधाना  
(ग) नगर/ग्राम—अछरौनी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.84 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
79	0.05
80	0.08
87	0.57
99	0.08
103	0.01
104	0.03
106	0.01
109	0.06
110	0.11
113	0.07
105	0.04
114	0.12
117/2	0.05
119	0.01
120	0.09

(1)	(2)	(1)	(2)
118	0.28	2697	0.23
884	0.03	2715	0.48
885	0.10	2716	0.60
886	0.16	2718	0.10
888	0.06	2720	0.33
887	0.08	2721	0.46
891/1	0.08	2722	0.03
891/2	0.05	2132	0.53
897	0.04	2656	0.02
893	0.01	2657	0.08
894	0.13	2683/1	0.16
895	0.15	2691	0.36
896	0.08	2692	0.08
2030/1	0.25	2693	0.21
2027	0.06	2695	0.01
2037	0.30	2696	0.09
2038	0.08	605	0.02
2040	0.03	606	0.14
2042	0.01	610	0.21
2024	0.05	615	0.03
2046	0.39	616	0.09
2047	0.08	611	0.25
2048	0.04	608	0.08
2078	0.11	2101	0.21
2068	0.14	2102	0.22
2071	0.09	2103/1	0.14
2072	0.10	2113/1	0.06
2079	0.05	2099/11	0.12
2082	0.08	2099/12	0.07
2075	0.01	2099/14	0.06
2076	0.02	614	0.01
2077	0.07	1864	0.03
907	0.22	1865	0.06
1762	0.17	617/1	0.04
1817	0.42	617/2	0.03
1820	0.19	1863/1	0.12
1821	0.34	1863/2	0.09
1822	0.02	1863/3	0.08
1823	0.03	2124	0.20
2119/2	0.20	2129	0.10
2123/1	0.05		
2131	0.15		
2714	0.08		
2688	0.06		
2690	0.09		
		योग . . .	12.84

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—राजघाट नहर परियोजना के अंतर्गत बाईं तट नहर की विजयपुर डिस्ट्रीब्यूटरी के निर्माण हेतु.



(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

शिवपुरी, दिनांक 11 अप्रैल 2011

क्र. 5-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—शिवपुरी म.प्र.

(ख) तहसील—नरवर

(ग) नगर/ग्राम—मडोर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.63 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

क्षेत्रफल (हे. में)

(1)

(2)

424

0.01

426

0.02

427

0.01

584

0.04

668

0.03

671

0.20

676

0.06

680

0.04

688

0.12

690

0.27

691

0.05

692

0.01

693

0.33

694

0.01

701

0.05

702

0.04

703

0.01

711

0.04

728

0.01

733

0.06

735/1

0.12

735/2

0.10

736

0.09

(1)

(2)

738

0.01

739

0.01

741

0.02

742

0.28

743

0.07

745

0.02

746

0.02

751

0.02

752

0.09

753

0.06

757

0.02

778

0.02

779

0.09

797

0.02

798

0.09

799

0.08

801

0.02

802

0.27

811/1

0.24

811/5

0.17

811/6/1

0.09

811/6/2

0.11

816/1

0.01

818

0.27

819

0.27

834

0.22

839

0.06

840

0.08

863

0.09

876/4

0.04

884

0.11

885

0.02

886

0.09

887

0.10

889

0.05

890

0.06

891

0.06

892

0.09

893

0.02

894

0.05

895

0.03

929

0.02

931

0.01

932

0.09

933

0.14

(1)	(2)	(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.27 हेक्टेयर	
		खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हे. में)
		(1)	(2)
950	0.07		
951	0.04		
952	0.01		
959	0.02	20	0.06
960	0.04	24	0.10
961	0.04	25	0.04
967	0.03	26	0.06
972	0.05	27	0.05
984	0.02	28	0.10
985	0.04	29	0.01
986	0.04	66	0.10
987	0.03	67	0.05
1258	0.07	68	0.01
1311	0.01	69	0.02
1313	0.06	70	0.03
1323	0.02	71	0.10
1324	0.11	110	0.10
1325	0.10	111	0.05
1326	0.17	114	0.11
1335	0.14	115/1	0.02
	योग . . . 6.63	115/2	0.01
		130	0.11
		131	0.03
		841	0.11
		योग . . . 1.27	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—सिन्धु परियोजना दांया तट नहर (महुअर नदी तक) की डी-4 वितरण शाखा 1 आर मायनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश (भू-अर्जन शाखा) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—सिन्धु परियोजना दांया तट नहर (महुअर नदी तक) की डी-4 वितरण शाखा 1 आर मायनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश (भू-अर्जन शाखा) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 09-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—शिवपुरी म.प्र.

(ख) तहसील—नरवर

(ग) नगर/ग्राम—भेंसा

क्र. 11-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—शिवपुरी म.प्र.

(ख) तहसील—नरवर	(1)	(2)
(ग) नगर/ग्राम—दिहायला	98	0.02
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.71 हेक्टेयर	100	0.04
	101	0.03
खसरा नम्बर	102	0.10
(1)	103	0.02
1	153	0.10
4	154	0.04
5	155	0.01
6	159	0.02
7	160	0.08
8		योग . . 3.71
9		
10		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—सिन्ध
11		परियोजना दांया तट नहर (महुअर नदी तक) की
16		डी-4 वितरण शाखा 1 आर मायनर निर्माण हेतु.
17		
18		(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश
19		(भू-अर्जन शाखा) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया
20		जा सकता है.
24/6		
25		
29		क्र. 17-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात
30		का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में
63		वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक
64		प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894
65		(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा,
67		यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के
68		लिये आवश्यकता है :—
69		
75		अनुसूची
76		
77		(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि
78		
79		(क) जिला—शिवपुरी म.प्र.
80		(ख) तहसील—नरवर
81/2		(ग) नगर/ग्राम—लमकना पार्ट-I
81/3		(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.12 हेक्टेयर
82		
83		खसरा नम्बर
84		क्षेत्रफल (हे. में)
85		(1)
86		(2)
87		373/2अ
88		380
89		381
91		382
94		383
95		384
96		386
97		387

(1)	(2)	(1)	(2)
388	0.09	1097	0.12
389	0.07	1247	0.05
390	0.07	1262	0.03
392	0.11	1264	0.23
400	0.12	1265	0.37
401	0.11	1268	0.01
496	0.11	1334	0.01
502	0.05	1335	0.03
503	0.35	1336	0.15
504	0.14	1337	0.05
505	0.03	1339	0.25
507	0.34	1340	0.20
558	0.03	1343/3	0.02
561	0.30	1360	0.40
564	0.25	1361	1.01
565	0.22	1362	0.06
566	0.03	1364	0.03
567	0.20	3 आर माईनर	
568	0.10	709	0.02
573	0.12	710	0.02
574/1	0.02	735	0.04
574/2	0.18	738	0.03
582/1	0.04	739	0.02
582/2	0.90	740	0.06
595	0.03	741	0.06
879	0.12	742	0.01
880	0.12	747	0.05
882	0.01	748	0.04
883	0.10	749	0.03
884	0.10	752	0.02
885	0.24	753	0.04
1071	0.15	754/2	0.02
1072	0.22	758	0.02
1073	0.23	759	0.07
1074	0.04	760	0.02
1075	0.05	762	0.04
1076	0.02	763	0.04
1089	0.10	764	0.03
1090	0.13	767	0.02
1091	0.27	768	0.04
1092	0.01	769	0.04
1094	0.02	770	0.01
1095	0.08	1303	0.06
1096	0.40	1305	0.12



(1)	(2)	(1)	(2)
1690	0.08	2334	0.03
1698	0.30	2335	0.03
1700	0.15	2336	0.03
1701	0.02	2337	0.03
1702	0.03	2339	0.01
1706	0.14	2340	0.01
1707/1	0.08	2341	0.01
1707/2	0.08	2342	0.01
1707/3	0.06	2343	0.01
1707/4	0.02	2344	0.02
1708	0.10	2353	0.03
1709	0.14	2354	0.05
1711	0.15	2368	0.01
1713	0.12	2369	0.01
1715	0.11	2370	0.02
1834	0.01	2371	0.01
1946	0.01	2379	0.02
2021	0.07	2380	0.04
2022	0.06	2381	0.02
2090	0.02	2382	0.02
2091	0.03	2383	0.01
2118	0.03	2384	0.02
2119	0.02	2385	0.02
2146	0.05	2386	0.01
2235	0.01	2391	0.01
2236	0.03	2392	0.01
2237	0.05	2435	0.03
2239/1	0.03	2436	0.03
2239/2	0.03	2437	0.03
2239/3	0.02	2439	0.02
2239/4	0.02	2440	0.01
2240	0.10	2455	0.01
2248	0.01	2456	0.07
2254	0.04	2457	0.01
2255	0.03	2458	0.02
2256	0.03	2459	0.02
2257	0.02	2460	0.04
2259	0.02	2461	0.02
2260	0.01	2462	0.02
2299	0.01	2463	0.01
2300	0.01	2475	0.01
2301	0.02	2476	0.01
2302	0.01	2477	0.02
2303	0.02	2478	0.02
2332	0.01	2479	0.02
2333	0.02	2480	0.03

(1)	(2)	(1)	(2)
2481	0.03	2798	0.01
2482	0.01	2800	0.01
2483	0.02	2801	0.06
2488	0.02	2802	0.03
2489	0.01	2810	0.04
2490	0.02	2825	0.01
2491	0.06	2927	0.30
2492	0.01	2934	0.02
2493	0.03	3120	0.01
2494	0.01	3121	0.03
2495	0.01	3122	0.03
2497	0.01	3123	0.03
2498	0.01	3139	0.03
2507	0.01	3142	0.04
2629	0.03	3143	0.07
2671	0.03	3146	0.03
2674	0.04	3147	0.05
2677	0.01	3148	0.09
2678	0.04	3150	0.01
2685	0.02	3153	0.01
2686	0.02	3154	0.01
2687	0.02	3159	0.01
2689	0.01	3164	0.05
2744	0.01	3165	0.11
2754	0.02	3166	0.01
2755	0.04	3167	0.04
2756	0.01	3168	0.03
2768	0.02	3170	0.07
2769	0.02	3171	0.06
2770	0.02	3172	0.05
2774	0.02	3195	0.03
2775	0.03	3196	0.02
2776	0.03	3197	0.01
2777	0.01	3201	0.01
2781	0.02	3237	0.05
2782	0.09	3239	0.20
2784	0.06	3245	0.01
2785	0.05	3246	0.30
2786	0.06	3252	0.60
2787	0.01	840	0.14
2792	0.01	841	0.05
2793	0.01	842	0.04
2794	0.01	858	0.05
2795	0.02	1710	0.01
2796	0.03	1829	0.01

(1)	(2)	(1)	(2)
1833	0.01	2688	0.05
1835	0.05	2724	0.02
1839	0.01	2725	0.09
1942	0.03	2726	0.11
1943	0.03	2727	0.02
1944	0.01	2745	0.02
1945	0.02	2762	0.02
1947	0.02	2763	0.01
1948	0.02	2773	0.01
1958	0.02	2809	0.02
1959	0.01	2811	0.03
1960	0.01	2812	0.01
1975	0.02	2813	0.02
1976	0.05	2814	0.01
1978	0.08	2824	0.01
2027	0.02	3144	0.01
2028	0.03	3212	0.02
2031	0.05	3214	0.02
2032	0.03	3215	0.11
2089	0.01	3216	0.03
2093	0.01	3217	0.01
2120	0.01	3218	0.01
2121	0.02	3219	0.01
2122	0.03	3233	0.01
2145	0.05	3243	0.01
2223	0.01		योग . . . 9.88
2241	0.06		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—सिन्ध
2378	0.01		परियोजना दांया तट नहर (महुअर नदी तक) की
2438	0.05		डी-4 वितरण शाखा 1 आर मायनर निर्माण हेतु.
2441	0.01		(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश
2464	0.01		(भू-अर्जन शाखा) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया
2496	0.01		जा सकता है.
2508	0.02		
2509	0.01		
2521	0.06		क्र. 19-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात
2630	0.04		का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में
2640	0.01		वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक
2641	0.04		प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894
2642	0.02		(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा,
2643	0.01		यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के
2644	0.05		लिये आवश्यकता है :—
2645	0.03		अनुसूची
2672	0.03		(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि
2673	0.03		(क) जिला—शिवपुरी म.प्र.
2679	0.03		



		(1)	(2)
(ख) तहसील—नरवर			
(ग) नगर/ग्राम—राजपुर		717	0.26
(घ) लगभग क्षेत्रफल—18.89 हेक्टेयर		719	0.57
		720	0.20
खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हे. में)	721	0.03
(1)	(2)	722	0.07
307	0.08	723	0.34
308	0.06	724	0.05
309	0.05	731	0.01
310	0.01	804	0.01
311	0.06	805	0.02
317	0.17	807	0.34
319	0.10	808	0.37
327	0.07	809	0.01
331	0.05	811	0.11
332	0.07	812	0.07
347	0.06	813	0.01
348	0.33	859	0.07
349	0.01	860	0.04
350	0.09	862	0.01
355	0.01	869	0.13
356	0.03	870	0.05
357	0.22	871	0.03
433	0.04	872	0.28
434	0.03	873	0.32
435	0.07	878	0.03
436	0.01	879	0.04
437	0.11	880	0.04
438	0.03	881	0.05
439	0.01	882	0.07
440	0.01	883	0.22
441	0.12	884	0.02
442	0.14	885	0.18
443	0.14	886	0.01
444	0.17	887	0.23
445	0.10	888	0.01
446	0.09	889	0.05
447	0.03	893	0.20
660	0.02	894	0.09
661	0.30	895	0.03
662	0.17	896	0.03
663	0.01	898	0.09
664	0.30	899	0.05
666	0.36	911	0.01
667	0.20	912	0.01

(1)	(2)	(1)	(2)
914/1	0.06	1873	0.07
914/2	0.07	1874	0.05
915/1	0.15	1875	0.08
1162	0.16	1876	0.01
1163	0.36	1877	0.16
1164	0.07	1886	0.13
1311	0.01	1888	0.01
1312	0.11	1889	0.16
1313	0.11	1899	0.02
1314	0.06	1900	0.08
1315	0.05	1902	0.06
1317	0.14	1926	0.01
1318	0.09	1930	0.04
1319	0.05	1931	0.11
1320	0.01	1933	0.05
1333	0.04	1934	0.01
1334	0.03	1937	0.03
1340	0.15	1952	0.02
1341	0.05	1964	0.10
1342	0.05	1965	0.33
1343	0.08	1968	0.14
1344	0.03	1995	0.02
1346	0.18	2001	0.17
1347	0.04	2002	0.09
1368	0.06	2003	0.11
1369	0.10	2004	0.16
1370	0.01	2005	0.14
1374	0.01	2006	0.25
1375	0.04	2011	0.32
1377	0.01	2012	0.15
1378	0.21	2018	0.16
1379	0.09	2019	0.12
1381	0.01	2033	0.03
1403	0.01	2035	0.45
1404	0.10	2036	0.70
1405	0.07	2037	0.69
1406	0.09	2038	0.55
1407	0.04	2039	0.13
1408	0.04	2059	0.20
1868	0.03	2063	0.15
1869	0.12	2065	0.37
1870	0.06	2066/1	0.05
1871	0.03	2068	0.03
1872	0.02	2070	0.05

(1)	(2)	(1)	(2)
2080	0.01	175/1	
2081	0.03	175/2	0.05
कुल योग . .	18.89	175/3	
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—सिन्धु		176	0.03
परियोजना दांया तट नहर (महुअर नदी तक) की		177	0.02
डी-4 वितरण शाखा 1 आर मायनर निर्माण हेतु,		186	0.03
		187	0.06
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश		188	0.03
(भू-अर्जन शाखा) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया		189	0.04
जा सकता है.		190	0.10
		191	0.05
क्र. 72-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात		201	0.10
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में		205	0.05
वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक		206	0.05
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894		207	0.01
(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा,		242	0.02
यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के		249/1	0.05
लिये आवश्यकता है :—		257/1	0.50
		257/2	0.01
अनुसूची		258	0.12
(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि		262	0.03
(क) जिला—शिवपुरी म.प्र.		263	0.35
(ख) तहसील—नरवर		264	0.25
(ग) नगर/ग्राम—टर्कांकला		265	0.01
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.08 हेक्टेयर		267	0.20
		268	0.05
खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हे. में)	269	0.03
(1)	(2)	271	0.02
122	0.30	294	0.08
124	0.07	295	0.01
155/1	0.03	298	0.07
159	0.05	303	0.08
160	0.11	304	0.03
161	0.48	305	0.10
162	0.05	306	0.10
163	0.41	307	0.03
164	0.09	308	0.04
165	0.30	330	0.07
166	0.10	331	0.03
167	0.08	332	0.03
169	0.26	333	0.11
170	0.01	339	0.35
171	0.10	340	0.06
172	0.05	341	0.07
174	0.05	343	0.05

(1)	(2)	(ख) तहसील—नरवर	
344	0.03	(ग) नगर/ग्राम—सहदौरा	
396	0.10	(घ) लगभग क्षेत्रफल—15.29 हेक्टेयर	
401	0.13		
402	0.25	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हे. में)
403	0.35	(1)	(2)
404	0.10	5	0.01
405	0.03	8	0.02
406	0.07	10	0.02
407	0.10	11	0.02
408/1	0.10	14	0.03
410	0.40	15	0.09
411	0.10	16	0.06
412	0.55	17	0.02
413	0.12	30	0.06
414	0.03	32	0.05
415	0.02	33	0.03
मिन 435	0.03	34	0.07
मिन 436	0.30	37	0.02
437	0.10	38	0.06
438/1, 438/2	0.05	57	0.05
मिन 442	0.68	59	0.07
443	0.05	60	0.08
447	0.14	71	0.02
448	0.02	72	0.03
581	0.12	73	0.05
योग . .	10.08	74	0.05
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—सिन्धु		94	0.03
परियोजना दाया तट नहर (महुअर नदी तक) की		95	0.05
डी-4 वितरण शाखा 1 आर मायनर निर्माण हेतु.		96	0.10
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश		97	0.05
(भू-अर्जन शाखा) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया		100	0.01
जा सकता है.		101	0.02
		104	0.03
		105	0.03
क्र. 81-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात		138	0.03
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में		140	0.15
वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक		142	0.01
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894		143	0.04
(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा,		144	0.06
यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के		145	0.03
लिये आवश्यकता है :-		159	0.02
		161	0.01
अनुसूची		162	0.15
(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि		163	0.24
(क) जिला—शिवपुरी म.प्र.		164	0.17

(1)	(2)	(1)	(2)
198	0.06	718	0.04
199	0.09	719	0.20
200	0.03	720	0.07
203	0.03	721	0.06
204	0.05	722	0.08
232	0.01	730	0.20
236	0.15	731	0.12
237	0.02	732	0.18
238	0.21	757	0.03
243	0.10	796	0.03
245	0.11	798	0.17
281	0.24	799	0.09
282	0.12	800	0.08
286	0.18	803	0.18
287	0.14	809	0.08
288	0.03	810	0.04
387	0.02	813	0.08
437/1	0.07	826	0.05
437/2	0.04	893	0.18
437/3	0.04	896	0.03
545	0.06	898	0.02
546	0.04	899	0.02
547	0.03	900	0.04
560	0.08	936	0.01
561	0.02	946	0.08
562	0.02	948	0.03
563	0.01	950	0.34
567	0.13	951	0.22
569	0.12	952	0.12
571	0.25	953	0.20
572	0.21	954	0.05
638	0.18	955	0.34
639	0.01	956	0.13
640	0.10	958	0.56
661	0.15	961	0.21
662	0.05	971	0.05
666	0.03	972	0.16
667	0.03	973	0.05
669	0.01	1010	0.05
670	0.01	1011	0.16
682	0.03	1012	0.10
685	0.15	1018	0.01
686	0.02	1020	0.01
687	0.08	1021	0.07
717	0.08	1022	0.25



(1)	(2)	(1)	(2)
144	0.04	777	0.09
145	0.07	786	0.03
146	0.05	809	0.05
147	0.06	810	0.05
150	0.04	811	0.03
151	0.05	812	0.04
152	0.04	813	0.04
153	0.07	822	0.10
154	0.03	823	0.06
161	0.04	824	0.05
166	0.19	825	0.01
482	0.01	826	0.05
485	0.34	828	0.04
486/2	0.05	831	0.01
486/3	0.05	832	0.08
488/1	0.03	1130/1/1/2	0.08
488/2	0.09	1137	0.03
489	0.09	1139	0.25
490	0.03	1140	0.46
491/1	0.03	1142	0.31
491/2	0.02	1146/1	0.07
493	0.02	1149	0.19
494	0.07	1151/3	0.01
495/1	0.02	1162	0.05
495/2	0.03	1163	0.02
495/3	0.03	1164	0.09
496	0.07	1165	0.09
497	0.02	1166	0.03
498	0.09	1167	0.03
499	0.02	1168	0.02
501	0.06	1169	0.02
502	0.06	1228	0.10
503	0.02	1229	0.15
504	0.05	1230	0.03
505/1	0.04	1797	0.40
505/2	0.05	1926	0.01
512/2	0.34	1927	0.03
515/1	0.34	1928	0.05
515/2	0.12	1929	0.03
515/3	0.10	1947	0.02
516	0.02	1950	0.03
620	0.09	1951	0.01
740	0.02	1952	0.02
774	0.14	1953	0.05
775	0.01	1954	0.02

(1)	(2)	(ग) नगर/ग्राम—कुठीली	(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.31 हेक्टेयर
		खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
		(1)	(2)
1955	0.01	6	0.21
1959	0.02	8	0.15
1964	0.03	9	0.02
1978	0.14	10	0.23
1988	0.01	11	0.17
1989	0.04	16	0.26
1991	0.04	39	0.02
2030	0.03	40	0.01
2032	0.02	41	0.01
2033	0.06	42	0.20
2038	0.16	45	0.06
2039	0.01	46/2	0.17
2042	0.04	47	0.22
2043	0.01	131	0.02
2045	0.16	133/2	0.34
2048	0.03	134	0.32
2055	0.01	135/1	0.08
	योग . . 9.39	135/2	0.38
		135/3	0.57
		229	0.22
		230/1	0.65
		योग . . 4.31	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिन्ध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर (लालपुर पिक अप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-7, गणेशखेड़ा एवं लालपुर शाखा के निर्माण कार्य हेतु. भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है. आने वाले निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्र, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग, करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—सिन्ध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर (लालपुर पिक अप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-8 की गधाई शाखा के निर्माण कार्य हेतु. भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है. आने वाले निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्र, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग, करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पू. क्र. क्यू-भू-अर्जन-94.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शिवपुरी  
(ख) तहसील—करैरा

पू. क्र. क्यू-भू-अर्जन-95.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा,



यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

		(1)	(2)
अनुसूची		1641	0.02
(1) भूमि का वर्णन—		1643	0.04
(क) जिला—शिवपुरी		1644	0.25
(ख) तहसील—नरवर		1747	0.10
(ग) नगर/ग्राम—गधार्ई		1748	0.04
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.36 हेक्टेयर		1758	0.12
खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)	1759	0.18
(1)	(2)	1762/3	0.23
1459	0.02	1763	0.03
1461	0.14	1764	0.03
1462	0.02	1765	0.06
1463	0.08	1766	0.26
1466	0.06	1767	0.06
1467	0.11	1806	0.12
1468	0.02	1807/1	0.26
1495	0.79	1826/1/1	0.09
1497/2	0.48	1826/1/2	0.02
1512	0.02	1826/2	0.20
1515	0.09	1827	0.30
1517	0.13	1829	0.05
1525	0.01	1830	0.04
1526	0.22	1831	0.01
1527	0.12	1832	0.28
1528	0.11	1839	0.03
1530	0.16	1844/1	0.14
1531	0.05	1844/3	0.08
1532	0.10	1845/1	0.12
1533	0.01	1850	0.02
1534	0.15	1851/1	0.19
1562	0.07	1851/2	0.20
1567	0.01	1852	0.06
1571	0.05	1854	0.01
1572	0.05	1855	0.08
1574	0.18	1856	0.21
1576	0.04	1859	0.08
1577	0.44	1865	0.06
1589	0.36	1866/1	0.37
1590	0.21		
1599	0.25		
1600	0.16		
1601	0.01		
1606	0.20		
		योग . . .	9.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—सिन्ध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर (लालपुर पिक अप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-8, डी-8 की गधार्ई, रामनगर एवं आडर शाखा के

निर्माण कार्य हेतु. भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है. आने वाले निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.	(1)	(2)
	2356/1	0.06
	2356/2	0.20
	योग . . 2.46	

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पृ. क्र. क्यू-भू-अर्जन-96.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शिवपुरी  
(ख) तहसील—नरवर  
(ग) नगर/ग्राम—झण्डा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.46 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2244	0.12
2245	0.08
2246	0.01
2247/2	0.26
2254	0.16
2290/1	0.14
2292	0.15
2304	0.13
2305	0.30
2310/1	0.07
2310/2	0.06
2311	0.08
2312	0.02
2325	0.28
2326/2	0.04
2328/2	0.01
2337	0.16
2338	0.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—सिन्ध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर (लालपुर पिक अप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-8, गधाई शाखा के निर्माण कार्य हेतु. भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है. आने वाले निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पृ. क्र. क्यू-भू-अर्जन-97.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शिवपुरी  
(ख) तहसील—नरवर  
(ग) नगर/ग्राम—दाबरअली  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.19 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
29	0.19
77	0.29
82	0.34
165	0.30
166	0.03
167	0.06
169	0.11
170	0.07
174	0.03
175	0.07
176	0.09
177	0.30

(1)	(2)	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
179	0.02	
188	0.04	
189	0.04	
190	0.11	
201	0.05	
204	0.05	
205	0.03	
206	0.15	
207	0.07	
238	0.18	
239	0.04	
240	0.05	
242	0.05	
250	0.10	
251	0.03	
255	0.01	
256	0.09	
257	0.23	
274	0.09	
285	0.07	
286	0.02	
287	0.02	
288	0.04	
289	0.09	
290	0.03	
301	0.03	
302	0.05	
303	0.05	
304	0.06	
305	0.02	
307	0.01	
308	0.10	
309	0.05	
310	0.02	
312	0.10	
314	0.12	
	योग . . 4.19	

पृ. क्र. क्यू-भू-अर्जन-98.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शिवपुरी  
 (ख) तहसील—नरवर  
 (ग) नगर/ग्राम—करही  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.94 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
3526	0.16
3529	0.12
3539	0.66
योग . .	0.94

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—सिन्ध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर (लालपुर पिक अप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-8 के निर्माण कार्य हेतु. भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है. आने वाले निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—सिन्ध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर (लालपुर पिक अप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-7 एवं दाबरअली शाखा के निर्माण कार्य हेतु. भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है. आने वाले निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

पृ. क्र. क्यू-भू-अर्जन-99.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा,

यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शिवपुरी  
(ख) तहसील—करैरा  
(ग) नगर/ग्राम—आंडर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.36 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
392	0.10
407	0.05
409	0.14
414	0.32
415	0.20
425/6	0.09
425/7	0.06
431	0.02
432	0.25
452/2	0.12
453	0.03
466	0.04
469	0.04
470	0.05
471	0.03
472	0.03
476	0.05
659	0.02
724	0.16
727/3	0.21
727/4	0.18
728	0.17
योग . . .	<u>2.36</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—सिन्ध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर (लालपुर पिक अप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-8 एवं आंडर शाखा के निर्माण कार्य हेतु. भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है. आने वाले निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, सिन्ध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पृ. क्र. क्यू-भू-अर्जन-100.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शिवपुरी  
(ख) तहसील—करैरा  
(ग) नगर/ग्राम—बांसगढ़  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—15.97 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
7	0.07
8	0.17
9	0.17
10	0.11
13	0.07
15	0.07
18	0.09
19	0.04
20	0.05
21	0.04
29	0.01
30	0.04
31	0.18
45	0.03
46	0.02
47	0.10
63	0.12
103	0.12
104	0.12
105	0.05
107	0.11
108	0.22
109 मिन	0.81
110	0.32
116	0.04
117	0.02
148	0.03
325	0.66

(1)	(2)	(1)	(2)
326	0.28	520	0.02
327	0.18	536	0.08
359	0.02	537	0.33
360	0.03	548	0.32
362	0.03	553	0.29
363	0.03	554	0.26
364	0.03	555	0.15
365	0.03	556	0.21
366	0.02	572	0.80
374	0.21	665	0.18
375	0.14	668	0.08
378	0.19	669	0.05
379	0.16	670	0.15
381	0.09	671	0.04
384	0.13	672	0.11
394	0.03	812	0.13
395	0.21	813	0.10
425 मिन	0.38	814	0.06
428	0.10	815	0.03
429	0.14	947	0.06
430	0.27	949	0.07
456	0.13	953	0.10
463/2180	0.04	954	0.05
464	0.14	1999	0.02
468	0.24	2008	0.30
470	0.08	2009	0.04
474/2	0.53	2010	0.12
474/3	0.31	2016	0.04
475	0.93	2017	0.04
476	0.02	2018	0.20
480	0.04	योग . .	<u>15.97</u>
481/2/3	0.06		
481/2/4	0.09		
481/2/5	0.09		
481/2/8	0.09		
481/2/9	0.07		
487	0.27		
491/2	0.11		
493	0.27		
496	0.52		
502	0.15		
505	0.23		
510	0.55		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—सिन्ध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर (लालपुर पिक अप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-7 एवं बांसगढ़-I, II एवं III शाखा के निर्माण कार्य हेतु, भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है. आने वाले निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, सिन्ध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. क्यू-भू-अर्जन-101.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शिवपुरी

(ख) तहसील—करैरा

(ग) नगर/ग्राम—वनगवाँ

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.58 हेक्टेयर

खसरा नम्बर अर्जित रकबा (हे. में)

(1)	(2)
74	0.06
83	0.15
84	0.01
86	0.13
87	0.04
88	0.24
89	0.26
361	0.20
362	0.01
370	0.11
371/2	0.01
389	0.09
390	0.12
397	0.04
398	0.06
401	0.09
402	0.03
491	0.02
495	0.03
496	0.01
503	0.04
504	0.05
506	0.05
702	0.13
708	0.13
709	0.07
719	0.08

(1)	(2)
720	0.09
721	0.10
722	0.01
783	0.04
784	0.06
785	0.01
798	0.05
803	0.06
804	0.01
805	0.01
806	0.01
807	0.01
809	0.06
810	0.06
811	0.05
812	0.05
813	0.02
861	0.01
863	0.01
909	0.06
911	0.16
912	0.02
948	0.04
949 मिन	0.10
950	0.01
951	0.20
963	0.01

योग . . 3.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—सिन्ध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर (लालपुर पिक अप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वनगवाँ शाखा के निर्माण कार्य हेतु. भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है. आने वाले निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्रि, सिन्ध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. क्यू-भू-अर्जन-102.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शिवपुरी

(ख) तहसील—करैरा

(ग) नगर/ग्राम—खैरा कोटिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.22 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर अर्जित रकबा (हे. में)

(1)	(2)
46	0.01
125	0.13
131	0.02
134	0.14
135	0.15
136	0.04
138	0.05
165	0.10
166	0.09
167	0.10
190	0.01
191	0.22
198	0.20
209/4	0.06
211	0.09
212/1	0.23
212/2	0.24
217	0.01
224	0.01
225	0.04
237	0.01
238	0.08
240	0.18
241	0.03
519	0.01
577	0.11
579	0.11
582	0.16
588	0.15
590	0.58
613	0.04
614	0.94
615	0.12
639	0.01

(1)

(2)

642

0.09

644

0.07

645

0.02

646

0.05

647

0.11

651

0.02

659

0.04

661

0.04

662

0.10

663

0.06

664

0.05

671

0.11

676

0.25

679

0.08

680

0.08

690/4

0.04

692

0.27

704 मिन

0.27

योग . . 6.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—सिन्ध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर (लालपुर पिक अप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-8 एवं खैराकोटिया शाखा के निर्माण कार्य हेतु. भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है. आने वाले निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, सिन्ध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. क्यू-भू-अर्जन-103.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शिवपुरी

(ख) तहसील—करैरा

(ग) नगर/ग्राम—दुमदुमा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.22 हेक्टेयर.		(1)	(2)
खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	1101	0.05
3/2	0.18	1102	0.16
95	0.18	1104	0.01
445	0.02	1130	0.19
446	0.04	1131	0.02
447	0.07	1135	0.05
451	0.07		योग . . 4.22
452	0.05		
463	0.01		
464	0.02		
466/2	0.05		
467	0.05		
468/1	0.05		
468/2	0.04		
469/1	0.05		
469/2	0.03		
523/1	0.20		
692	0.27		
843	0.02		
844	0.08		
852	0.01		
854	0.09		
855 मिन	0.12		
869	0.24		
878	0.04		
879	0.02		
894	0.12		
895	0.18		
897	0.09		
901	0.09		
902	0.04		
903	0.07		
966	0.11		
967	0.01		
970	0.07		
1069/1	0.05		
1069/2	0.03		
1070 मिन	0.14		
1071	0.02		
1091	0.25		
1092	0.25		
1098	0.02		
1099	0.20		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—सिन्ध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर (लालपुर पिक अप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-8 एवं दुमदुमा शाखा के निर्माण कार्य हेतु. भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है. आने वाले निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, सिन्ध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 117-भू-अर्जन-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

#### अनुसूची

(1) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—शिवपुरी

(ख) तहसील—नरबर

(ग) ग्राम—जरगवां सानी

(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—13.88 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल
(1)	(2)
15	0.03
16	0.10
17	0.06
60	0.06
61	0.09
62	0.02
70	0.05



(1)	(2)	(1)	(2)
71	0.12	605/1	0.09
72	0.03	605/2	0.03
74	0.06	606	0.05
75	0.07	607	0.05
76	0.03	608	0.03
158	0.25	609	0.07
159	0.15	610	0.06
160	0.15	611	0.01
161	0.26	613	0.01
162	0.28	615	0.05
304	0.04	616	0.02
308	0.10	638	0.01
310	0.09	708	0.02
311	0.22	710	0.01
325	0.02	732	0.01
326	0.20	766	0.01
338	0.11	771	0.02
339	0.09	772	0.03
340	0.23	773	0.01
341/1	0.03	774	0.03
341/2	0.31	775	0.03
342	0.02	776	0.03
343	0.03	777	0.02
346/1	0.11	778	0.02
346/2	0.10	779	0.02
347	0.11	780	0.01
348	0.07	782	0.02
573/1	0.04	813	0.28
573/2	0.08	816	0.03
573/3	0.08	817	0.02
577	0.16	818	0.02
578	0.11	820	0.02
579	0.23	832	0.05
581	0.34	833	0.05
582	0.20	834	0.21
584	0.02	835	0.06
588	0.12	836	0.02
589	0.05	845	0.04
590	0.05	846	0.07
591	0.12	847	0.08
592	0.29	848/1	0.05
593	0.02	848/2	0.04
594	0.04	849	0.07
595	0.04	850	0.06

(1)	(2)	(1)	(2)
851	0.10	1194	0.05
868	0.04	1195	0.07
869	0.04	1196	0.08
873	0.03	1197	0.07
874	0.06	1198	0.06
875	0.03	1199	0.06
876	0.05	1201	0.24
877	0.05	1202/1	0.01
878	0.18	1202/2	0.01
880	0.02	1211/1	0.07
881	0.01	1211/2	0.02
901	0.02	1212	0.17
902	0.25	1213	0.01
903	0.10	1214	0.03
904	0.10	1260	0.02
905	0.11	1262	0.08
907	0.15	1263	0.10
938	0.37	1264	0.080
939	0.03	1265	0.06
973	0.01	1305	0.060
976	0.05	1308	0.02
977	0.33	1311	0.150
978	0.06	1312/1	0.09
983	0.01	1312/2	0.09
984	0.08	1313	0.08
985	0.18	1314	0.10
986	0.10	1315	0.06
987/1	0.06	1316	0.04
988	0.14	1320	0.02
990/1	0.08	1322	0.51
990/2	0.06	1319	0.01
991	0.06	1318	0.01
994	0.05	कुल योग . .	<u>13.88</u>
1004	0.01		
1005/1	0.07	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिन्ध	
1005/2	0.09	दांयी तट नहर (महुअर नदी तक) की डी-5 एवं 5	
1005/3	0.08	आर, 6 एल. माइनर के निर्माण हेतु.	
1177	0.01		
1181	0.07	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाधीश (भू-	
1182	0.09	अर्जन शाखा) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा	
1183	0.02	सकता है.	
1184	0.12		
1190	0.07		
1191	0.01	क्र. 118-भू-अर्जन-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को	
1193	0.06	इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद	
		(1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में	

उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—शिवपुरी  
(ख) तहसील—नरबर  
(ग) ग्राम—भैंसा  
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—1.83 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हे. में.)
(1)	(2)
420	0.11
421	0.07
446	0.07
487	0.06
1165	0.17
1166	0.09
1169	0.03
1173	0.01
1257	0.20
1258	0.38
1259	0.04
1267	0.02
1268	0.05
1269	0.23
1272	0.13
1260	0.17
कुल योग . .	<u>1.83</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिन्धु दांयी तट नहर (महुअर नदी तक) की डी-5 की 6 एल माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाधीश (भू-अर्जन शाखा) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—शिवपुरी  
(ख) तहसील—नरबर  
(ग) ग्राम—सनाई  
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—5.80 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हे. में.)
(1)	(2)
45	0.11
47	0.08
48	0.01
50	0.01
51	0.09
56	0.10
65	0.03
66	0.10
64	0.06
67	0.02
87	0.04
88	0.15
89	0.11
108	0.12
113	0.06
123	0.09
132	0.21
133	0.25
168	0.03
1112	0.03
1113/1	0.11
1113/2	0.11
1116/1	0.09
1193	0.04
1194	0.02
1199	0.17
1215	0.05
1217	0.17
1218	0.10
1214	0.03
1219	0.09
1220	0.02
1222	0.06
1223	0.03
1226	0.02
1221	0.13
1290	0.20
1293	0.06

क्र. 119-भू-अर्जन-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि

भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

(1)	(2)	अनुसूची	
1299	0.01		
1337	0.10	(1) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि	
1298	0.07	(क) जिला—शिवपुरी	
1303	0.10	(ख) तहसील—नरबर	
1314	0.08	(ग) ग्राम—बिल्हारी खुर्द	
1331	0.12	(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—3.55 हेक्टेयर	
1304	0.10	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल
1312	0.02		(हे. में.)
1305	0.05	(1)	(2)
1311	0.04	45	0.13
1313	0.03	67/1	0.04
1315	0.10	67/2	0.02
1332	0.02	68	0.06
1333	0.01	69	0.03
1335	0.05	71	0.02
1336	0.01	80	0.03
1338	0.34	81	0.13
1346	0.10	83	0.02
1350	0.20	84	0.03
1351	0.14	85	0.06
1352	0.11	86	0.06
1354	0.27	89	0.01
130	0.11	90	0.02
131	0.01	91	0.03
1115	0.15	122	0.11
1190	0.12	123	0.13
1191	0.06	136	0.11
1374	0.08	137	0.22
		138	0.01
		140	0.19
कुल योग . .	5.80	317	0.12
		321	0.15
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिन्धु		323	0.07
दांयी तट नहर (महुअर नदी पश्चात्) की उपशाखा		360/1	0.06
एम-5 की माइनर आर-1, आर-2 सब माइनर के		360/2	0.06
निर्माण हेतु,		360/4	0.06
		361	0.16
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाधीश (भू-		362/1	0.05
अर्जन शाखा) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा		362/2	0.03
सकता है.		362/3	0.01
		363	0.04
क्र. 120-भू-अर्जन-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को		364	0.31
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद		366	0.21
(1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में		367	0.01
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः		499	0.14
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा		500	0.17
6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त		501	0.01

(1)	(2)
502	0.05
504	0.27
505	0.08
कुल योग . .	<u>3.55</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिन्ध दांयी तट नहर (महुअर नदी पश्चात्) की एम-5 माइनर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाधीश (भू-अर्जन शाखा), जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 121-भू-अर्जन-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

- (1) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—शिवपुरी  
(ख) तहसील—नरबर  
(ग) ग्राम—बिल्हारी कलां  
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—1.45 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
172	0.01
175	0.30
176	0.01
181	0.13
182	0.20
183	0.33
184	0.02
185	0.32
189	0.03
192	0.02
194	0.06
417	0.02
कुल योग . .	<u>1.45</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—सिन्ध दांयी तट नहर (महुअर नदी पश्चात्) की उप शाखा एम-5 माइनर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाधीश (भू-अर्जन शाखा) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 122-भू-अर्जन-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

- (1) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—शिवपुरी  
(ख) तहसील—नरबर  
(ग) ग्राम—दिहायला  
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—16.74 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
2153	0.18
2155	0.12
2159	0.12
2160	0.22
2161	0.04
2162	0.09
2163	0.16
2164	0.06
2165	0.09
2168	0.16
2169	0.03
2170	0.06
2171	0.012
2173	0.06
2174	0.07
2178	0.01
2179	0.06
2193	0.02
2281	0.02

(1)	(2)	(1)	(2)
2283	0.35	2791	0.36
2284/2	0.04	2820	0.17
2288	0.05	2821	0.24
2291	0.05	2822	0.07
2292	0.06	2855	0.26
2293	0.06	2907	0.32
2295	0.16	2908	0.19
2297	0.03	2959	0.02
2311	0.14	2966	0.12
2316	0.10	2970	0.01
2317	0.08	2971	0.20
2318	0.15	2972	0.01
2321	0.19	2973	0.32
2343	0.06	2974	0.15
2344	0.06	2980	0.09
2345	0.03	2981	0.10
2347	0.24	3729	0.20
2349	0.18	3730	0.09
2351	0.01	3731	0.02
2352	0.13	3733	0.13
2353	0.22	3734	0.08
2354	0.03	3735	0.09
2525	0.16	3743	0.02
2526	0.08	3776	0.02
2528/1	0.04	3777	0.03
2528/2	0.04	3783	0.05
2544	0.12	3784	0.03
2545	0.10	3785	0.02
2548	0.17	3787	0.16
2572	0.12	3789	0.24
2573	0.14	3790	0.05
2574	0.05	3791	0.07
2628	0.03	3848	0.23
2629	0.17	3890	0.02
2630	0.27	3894	0.17
2632	0.07	3896	0.37
2628	0.01	3897	0.01
2689	0.06	3899	0.34
2697	0.01	3900	0.05
2698	0.20	3966	0.12
2699	0.20	3967	0.19
2733	0.29	3968	0.28
2737	0.22	3970	0.01
2739	0.03	3973/1	0.02
2749	0.28		
2790	0.13		

(1)	(2)	(ग) ग्राम—बडगोर	(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—8.01 हेक्टेयर.
		खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
		(1)	(2)
3974/1	0.02		
3975	0.22		
4004	0.09		
4009	0.17		
4013	0.24		
4019	0.27	922	0.47
4020	0.07	921	0.34
4021	0.02	904/1	0.60
4022	0.09	904/2	0.21
4023	0.01	898	0.18
4030	0.01	619	0.18
4032	0.01	926	0.04
4033	0.21	927	0.15
4034	0.36	889	0.04
4035	0.13	890	0.01
4036	0.12	891	0.11
4038	0.08	892	0.06
4039	0.51	884	0.08
2443	0.67	885	0.01
2448	0.03	893	0.22
2449	0.56	638	0.43
2451	0.01	571	0.28
कुल योग . .	16.74	882	0.21
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिन्धु		875	0.32
दर्या तट नहर (महुअर नदी तक) की डी-6 एवं 4		873	0.23
एल माइनर के निर्माण हेतु.		868	0.02
		636	0.16
		637	0.03
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश		632	0.06
(भू-अर्जन शाखा), जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया		633	0.10
जा सकता है.		616	0.16
		617	0.15
		618	0.02
क्र. 123-भू-अर्जन-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को		620	0.01
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद		621	0.12
(1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में		622	0.05
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-		572	0.04
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6		502	0.02
के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि		501	0.14
की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-		503	0.01
		504	0.03
		506	0.17
		499	0.08
(1) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि		494/1	0.21
(क) जिला—शिवपुरी		492	0.08
(ख) तहसील—नरवर		491/1	0.13

(1)	(2)	(ख) तहसील—नरवर	
491/2	0.05	(ग) ग्राम—सुनारी	
516	0.03	(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—10.20 हेक्टेयर.	
612	0.12		
614	0.20	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल
615	0.01		(हेक्टेयर में)
590	0.11	(1)	(2)
589	0.11	5	0.05
586	0.15	6	0.28
588	0.10	7	0.23
760	0.06	8	0.12
761	0.08	12	0.12
758/1	0.02	13	0.17
758/3	0.04	14	0.15
759	0.08	17	0.15
742	0.12	18	0.27
741	0.14	19	0.25
740	0.11	20	0.20
746	0.04	49	0.05
747	0.07	50	0.01
377	0.05	52	0.19
376/1	0.17	54	0.17
379	0.02	55	0.01
375/1	0.03	56	0.01
375/2	0.10	191	0.04
374	0.04	192	0.12
कुल योग . . .	8.01	193	0.11
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिन्धु		194	0.05
दायीं तट नहर (महुअर नदी तक) की डी-5 एवं		195	0.20
डी-5 से निकलने वाली 11 एल माइनर के निर्माण हेतु.		202	0.01
		203	0.33
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश		204	0.24
(भू-अर्जन शाखा), जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया		205	0.01
जा सकता है.		207	0.05
		208	0.08
क्र. 124-भू-अर्जन-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को		209	0.03
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद		210	0.12
(1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में		213	0.40
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-		226	0.12
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6		227	0.17
के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि		231	0.12
की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—		232	0.05
		233	0.12
अनुसूची		234	0.01
(1) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि		236	0.01
(क) जिला—शिवपुरी		237	0.01



(1)	(2)	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंध दायीं तट नहर (महुअर नदी तक) की डी-5 एवं 6 एल माइनर के निर्माण हेतु.
238	0.08		
239	0.13		
240	0.04		
243	0.05	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश (भू-अर्जन शाखा), जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
245	0.08		
246	0.08		
247	0.06		
248	0.01		
249	0.02		
262	0.10		
263	0.08		
1638	0.08		
1639	0.02		
1641	0.08		
1642	0.10		
1643	0.09		
1645	0.12		
1646	0.06		
1647	0.15		
1653	0.06		
1654	0.19		
1655	0.08		
1656	0.10		
1657	0.10		
2083	0.01		
2084	0.17		
2085	0.01		
2088	0.03		
2089	1.09		
2128	0.03		
2129	0.08		
2131	0.02		
2152	0.03		
2108	0.05		
2130	0.32		
2132	0.22		
2139	0.11		
2138	0.25		
2140	0.35		
2153	0.15		
2154	0.02		
2155	0.21		
2156	0.02		
2167	0.24		
	कुल योग . .	10.20	

क्र. 125-भू-अर्जन-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

**अनुसूची**

(1) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—शिवपुरी  
(ख) तहसील—नरबर  
(ग) ग्राम—अंदोरा  
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—17.82 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
17	0.02
19	0.26
20	0.14
21	0.14
22	0.02
23	0.23
26	0.52
28	0.11
42	0.10
43	0.23
45	0.09
46	0.06
47	0.07
48	0.31
70	0.24
71	0.24
74	0.07
75	0.36
76	0.36

(1)	(2)	(1)	(2)
77	0.01	604	0.01
78	0.22	605	0.01
80	0.05	614	0.50
81/1	0.07	616	0.34
81/2	0.06	617	0.01
85	0.23	629	0.34
86	0.03	631	0.34
87	0.09	635	0.33
120	0.04	739	0.07
121	0.15	740	0.03
122	0.13	741	0.08
125	0.44	742	0.01
385	0.28	743	0.09
387	0.05	752	0.07
388	0.22	754	0.11
391	0.48	761/2	0.08
392	0.01	761/3	0.08
393	0.01	761/4	0.04
398	0.11	762	0.01
407	0.19	763	0.04
408	0.11	764/1	0.01
411	0.17	764/2	0.16
412	0.02	765	0.07
531	0.01	766/1	0.03
532	0.15	766/2	0.04
534	0.01	768	0.02
538	0.01	769/1	0.03
539	0.12	769/2	0.03
540	0.09	769/3	0.02
541	0.03	770/2	0.10
542	0.11	770/3	0.04
546	0.04	801	0.15
547	0.02	802	0.27
550	0.01	807	0.12
586	0.06	824	0.20
587	0.01	826	0.02
589	0.18	828	0.05
590	0.24	829	0.17
591	0.03	831	0.23
599	0.07	833	0.07
600	0.13	834	0.07
601	0.11	839	0.17
603	0.15	915	0.05
		917	0.03
		918	0.28
		919	0.36
		978	0.34
		979	0.22

(1)	(2)
1001	0.04
1002	0.04
1003	0.05
1011	0.09
1012	0.02
1013	0.04
1014	0.04
1027	0.02
1028	0.01
1029	0.01
1030	0.37
1031	0.04
1032	0.05
1034	0.01
1035	0.17
1036	0.34
1041	0.05
1042	0.22
1043	0.19
1045	0.08
1071	0.02
1072	0.18
1076	0.10
1077	0.03
1078	0.06
1079	0.22
1081	0.24
1082	0.24
1321	0.05
1323	0.18
1333	0.17
1337	0.08
1338	0.07
1126	0.03
1010	0.01

कुल योग . . . 17.82

क्र. 126-भू-अर्जन-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

(1) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—शिवपुरी

(ख) तहसील—नरबर

(ग) ग्राम—रौनीजा

(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—10.31 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1718	0.10
1719	0.08
1721	0.14
1722	0.02
1723	0.24
1728	0.23
1729	0.02
1730	0.01
1742	0.01
1743	0.13
1745	0.06
1746	0.09
1748	0.03
1751	0.10
1752	0.30
1753	0.19
1755	0.09
1758	0.10
1759	0.09
1760	0.07
1761	0.11
1762	0.03
1771	0.11
1773	0.10
1774	0.01
1777	0.07
1780	0.18
1781	0.33
1785	0.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंध दार्यों तट नहर (महुअर नदी तक) की डी-5 एवं 5 आर, 7 आर माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश (भू-अर्जन शाखा) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(1)	(2)	(1)	(2)
1786	0.16	2495	0.01
1788	0.27	2496	0.01
1789	0.09	2506	0.01
1822	0.58	2547	0.01
1828	0.01	2554	0.05
1829	0.09	2555	0.42
1836	0.18	2556	0.10
1837	0.04	2557	0.04
1838	0.41	2573	0.06
1848	0.18	2574	0.15
1849	0.16	2575	0.09
1851	0.10	2576	0.19
2027	0.09	2579	0.06
2028	0.27	2582	0.01
2034	0.10		
2035	0.02		
2036	0.19		
2037	0.01		
2038	0.19		
2039	0.01		
2045	0.03		
2059	0.10		
2301	0.04		
2307	0.12		
2441	0.01		
2442	0.09		
2443	0.31		
2460	0.03		
2461	0.32		
2462	0.01		
2463	0.14		
2465	0.31		
2466	0.07		
2467	0.06		
2468	0.07		
2469	0.11		
2470	0.11		
2479	0.08		
2480	0.10		
2481	0.05		
2482	0.09		
2483	0.08		
2484	0.05		
2486	0.15		
2487	0.05		
2488	0.20		
2493	0.01		
		कुल योग . .	10.31
		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंध दायीं तट नहर (महुअर नदी तक) की डी-5 एवं 5 आर माइनर के निर्माण हेतु.	
		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश (भू-अर्जन शाखा), जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.	
		क्र. 127-भू-अर्जन-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—	
		अनुसूची	
		(1) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि	
		(क) जिला—शिवपुरी	
		(ख) तहसील—नरबर	
		(ग) ग्राम—मडोर	
		(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—8.14 हेक्टेयर.	
		खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
		(1)	(2)
		214	0.09
		215	0.15
		220	0.24
		221	0.13
		222	0.02

(1)	(2)	(1)	(2)
224	0.19	468	0.13
226	0.13	490	0.05
229/2	0.17	501	0.08
230	0.05	507	0.13
243	0.02	508	0.07
244	0.11	509	0.12
246	0.02	538	0.17
247	0.12	545	0.10
249	0.12	547	0.03
250	0.02	548	0.02
259	0.18	549	0.03
261	0.14	550	0.10
262/2	0.01	552	0.01
265	0.09	555	0.08
266	0.11	556	0.10
267	0.27	557	0.07
269/1	0.10	1041	0.02
270	0.31	1042	0.06
294	0.32	1043	0.09
346	0.02	1049	0.13
347	0.20	1050	0.01
351	0.14	1055	0.01
370	0.07	1056	0.05
372/2	0.05	1057	0.17
375	0.14	1058	0.02
381	0.01	1065	0.08
396	0.26	1066	0.03
397	0.19	1067	0.03
398	0.10	1068	0.06
448	0.07	1069	0.07
450	0.13	1070	0.05
451	0.08	1071	0.10
452	0.01	1072	0.02
459	0.05	1076	0.08
462	0.02	1138	0.02
463	0.11	1139	0.02
464	0.17		
465	0.08		
473	0.12		
474	0.03		
475	0.16		
476	0.03		
477	0.16		
478	0.01		
481	0.09		
482	0.12		
485	0.02		
		कुल योग . .	<u>8.14</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंध दायीं तट नहर (महुअर नदी तक) की उपशाखा एम-5 एवं उसकी सब माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश (भू-अर्जन शाखा), जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.